[2022] 9 एस. सी. आर 43

गोहर मोहम्मद

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन

निगम और अन्य

(2022 की सिविल अपील संख्या 9322)

15 दिसंबर, 2022

[एस. अब्दुल नजीर और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: वाहन मालिक की देयता -

दुर्घटना दावा-मुआवजे का निर्धारण-पीड़ित-मृतक 24 साल का था और डी. आर. वी. ड्रिंक्स में प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहा था।

प्रा. लिमिटेड-जब वे कारखाने से घर लौट रहे थे, उनकी कार को अपीलार्थी के स्वामित्व वाली एक बस ने पीछे से टक्कर मार दी-मृतक को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई-दावा याचिका-एम. ए. सी. टी. ने कुल रु. 31,90,000 / - 7 प्रतिशत ब्याज के साथ-एम. ए. सी. टी. ने माना कि वाहन संचालित नहीं किया जा रहा था।

परमिट की शर्तों के अनुसार और शर्तों का उल्लंघन था और

बीमा पॉलिसी की शर्तें और इसलिए, उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था-अपीलार्थी

दायित्व के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई

-

उच्च न्यायालय ने एम. ए. सी. टी. के निष्कर्षों की पुष्टि की और कहा कि वाहन

मालिक मूल परमिट प्रस्तुत करने में विफल रहा-इसलिए, तत्काल अपील

- आयोजित किया गयाः उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि

दुर्घटना, अपीलार्थी के पास उस मार्ग पर उल्लंघन करने वाले वाहन को चलाने के लिए वैध और प्रभावी परमिट नहीं था जहां दुर्घटना हुई थी, यह मानते हुए भी कि परमिट वैध था, लेकिन यह अपीलार्थी के लिए कोई मदद नहीं है क्योंकि वाहन को परमिट में निर्दिष्ट मार्ग से अलग मार्ग पर चलाया जा रहा था-तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: एसएस। 146,147,149,159,160,164 और

166 – न्यायसंगत क्षतिपूर्ति-उचित क्षतिपूर्ति-भुगतान

यह कितना न्यायपूर्ण और उचित है, यह एक समान दृष्टिकोण अपनाने से न्यायालय की संतुष्टि का विषय है

- क्षतिपूर्ति एकरूपता और तर्कसंगतता की आवश्यकता है

[2022] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जारी किए गए निर्देश-भारत का संविधान-- अनुच्छेद। 142 - मोटर वाहन संशोधन अधिनियम-एस. 149 (2) , 159 , 164 , 166 - मोटर

वाहन संशोधन नियम, 2022 - आर. 30।

अपील को खारिज करते हुए और कुछ निर्देश पारित करते हुए,

अदालत

पकड़नाः 1. दुर्घटना की तारीख को, अपीलार्थी के पास उल्लंघन करने वाले वाहन को चलाने के लिए वैध और प्रभावी परमिट नहीं था।

वह मार्ग जहाँ दुर्घटना हुई थी। बड़े पैमाने पर चला गया

तथ्य-खोज अभ्यास के माध्यम से, इसे स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाता है MACT कि अपीलार्थी न तो प्रस्तुत करने/साबित करने में सक्षम था

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत। भले ही आर. टी. आई. जानकारी पर विचार किया जाए जिसके द्वारा यह यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित परमिट कब जारी किया गया था और

किसके। कथित परमिट 28.07.2012 पर जारी किया गया था, अर्थात

शनिवार और कोई स्पष्टीकरण दर्ज नहीं है कि शुल्क क्यों जमा किया गया

अगले दिन यानी रविवार को पूछा गया था। इसके अलावा, यह मानते हुए कि परमिट परिवहन प्राधिकरण के पत्र के अनुसार वैध था, लेकिन यह करता है

अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिली क्योंकि वाहन चलाया जा रहा था परमिट में निर्दिष्ट मार्ग से भिन्न। अपीलार्थी ने

द्वारा की गई टिप्पणियों का खंडन करने के लिए कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा

एम. ए. सी. टी. रुड़की से होते हुए हरिद्वार तक वाहन चलाएगा मेरठ जो जारी किए गए परमिट के मार्ग के अंतर्गत नहीं आता था

परिवहन प्राधिकरण। तथ्य के उक्त निष्कर्षों की पुष्टि की गई है

हस्तक्षेप क्योंकि वे अपमानजनक रूप से तर्क की अवहेलना नहीं करते हैं अतार्किकता की बुराई से पीड़ित हैं और न ही इसका दोष लेते हैं

विकृत होना। [पैरा 8 और 9] [50-बी-एफ]

2. इस अपील का निर्णय निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता हैः

उच्च न्यायालय और एमएसीटी। (ii) सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के उपयोग से सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर संबंधित एस. एच. ओ.

एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 159 के अनुसार कदम उठाएँ।

(ग) एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद, जाँच अधिकारी

एम. वी. संशोधन नियम, 2022 में निर्दिष्ट उपाय करें।

और 48 घंटे के भीतर दावा न्यायाधिकरण को एफ. ए. आर. प्रस्तुत करें। आई. ए. आर. और डी. ए. आर. को नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन समय सीमा के भीतर दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया जाएगा।

iv) पंजीकरण अधिकारी वाहन के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की योग्यता, परमिट और अन्य सहायक मुद्दों को सत्यापित करने और दावा न्यायाधिकरण के समक्ष पुलिस अधिकारी को समन्वय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

v) नियमों में निर्दिष्ट फ्लो चार्ट और अन्य सभी दस्तावेज या तो स्थानीय भाषा में या अंग्रेजी में होंगे। भाषा, जैसा भी मामला हो और नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी। जाँच अधिकारी पीड़ित/कानूनी व्यक्ति को सूचित करेगा।

न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार निर्धारित तिथि पर गवाह। vi) निर्देश संख्या (iii) को पूरा करने के उद्देश्य से, पुलिस थानों का वितरण जो उन्हें दावे के साथ संलग्न करते हैं।

न्यायाधिकरणों की आवश्यकता होती है। इसलिए, पुलिस थानों को दावा न्यायाधिकरणों से जोड़ने वाला वितरण ज्ञापन समय-समय पर उच्च न्यायालयों के महापंजीयक द्वारा जारी किया जाएगा, यदि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहले से जारी नहीं किया गया है।

vii) एम. वी. संशोधन अधिनियम और नियमों को ध्यान में रखते हुए, जाँच अधिकारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमों के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। इसलिए, एम. वी. संशोधन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, मोटर दुर्घटना के दावे के मामलों से निपटने के लिए निर्दिष्ट प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक

प्रत्येक पुलिस स्टेशन या नगर स्तर पर एक विशेष इकाई विकसित करने और प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया जाता है।

viii) पुलिस स्टेशन से एफ. ए. आर. प्राप्त करने पर, दावा न्यायाधिकरण ऐसे एफ. ए. आर. को विविध आवेदन के रूप में पंजीकृत करेगा।

उक्त एफ. ए. आर. के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा आई. ए. आर. और डी. ए. आर. दाखिल करने पर, इसे उसी विविध आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। दावा न्यायाधिकरण पारित होगा उक्त आवेदन में उद्देश्य [2022] 9 एस. सी. आर. को पूरा करने के लिए उपयुक्त आदेश।

एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 149 और नियम, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

ix) दावा न्यायाधिकरणों को बीमा कंपनी के नामित अधिकारी के प्रस्ताव से संतुष्ट होने का निर्देश दिया जाता है।

न्यायसंगत और उचित मुआवजा देने के इरादे से। इस तरह की संतुष्टि दर्ज करने के बाद, समझौते को निम्नानुसार दर्ज किया जाना चाहिएः एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 149 (2), दावेदारों की सहमति के अधीन। यदि दावेदार इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो सुनवाई के लिए तारीख तय की जाए और दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

वृद्धि, याचिका पर निर्णय लिया जाए। उक्त घटना में, उक्त जांच केवल मुआवजे में वृद्धि की सीमा तक सीमित होगी, जिसकी जिम्मेदारी दावेदार (ओं) पर स्थानांतरित होगी।

x) सामान्य बीमा परिषद और सभी बीमा

कंपनियों को एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 149 और संशोधित नियमों का पालन करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है। नियम 24 में निर्धारित नोडल अधिकारी और नियम 23 में निर्धारित नामित अधिकारी की नियुक्ति को तुरंत अधिसूचित किया जाएगा और सभी पुलिस थानों/हितधारकों को समय-समय पर संशोधित आदेश भी अधिसूचित किए जाएंगे।

xi) यदि दावेदार सूचना प्राप्त करने पर एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 164 या 166 के तहत आवेदन दायर करता है,

धारा 149 के तहत पंजीकृत विविध आवेदन को दावा न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा जहां धारा 164 या 166 के तहत आवेदन दावा न्यायाधिकरण द्वारा तुरंत लंबित है।

xii) यदि मृतक के दावेदार (ओं) या कानूनी प्रतिनिधियों (ओं) ने क्षेत्रीय क्षेत्र में अलग दावा याचिका (ओं) दायर की है

विभिन्न उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, उक्त स्थिति में, दावेदार (ओं)/कानूनी प्रतिनिधि (ओं) द्वारा दायर पहली दावा याचिका

उक्त दावा न्यायाधिकरण द्वारा बनाए रखा जाएगा और

बाद की दावा याचिकाएँ दावा न्यायाधिकरण को हस्तांतरित की जाएंगी जहाँ पहली दावा याचिका दायर की गई थी और लंबित थी। दावेदारों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में दायर अन्य दावा याचिकाओं के हस्तांतरण के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालयों के महापंजीयक उचित कदम उठाएंगे और उचित पारित करेंगे।

इस न्यायालय के निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए इस संबंध में आदेश।

गोहर मोहम्मद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

xiii) यदि दावेदार, जैसा भी मामला हो, एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 164 या 166 के तहत सहारा लेता है, तो वह

संशोधन अधिनियम। xiv) उच्च न्यायालयों के महापंजीयक, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य न्यायिक अकादमियों से अनुरोध किया जाता है

एम. वी. संशोधन के अध्याय 11 और 12 के प्रावधानों के संबंध में सभी हितधारकों को जल्द से जल्द संवेदनशील बनाना। अधिनियम और एम. वी. संशोधन नियम, 2022 और कानून का अधिदेश सुनिश्चित करने के लिए।

xv) एम. वी. के नियम 30 के आदेश के अनुपालन के लिए।

संशोधन नियम, 2022 में यह निर्देश दिया गया है कि बीमा कंपनी के दायित्व पर विवाद करने पर दावा न्यायाधिकरण स्थानीय आयुक्त के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करेगा और ऐसे स्थानीय आयुक्त का शुल्क और खर्च बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

(xvi) राज्य प्राधिकरण समन्वय और सुविधा के लिए एक संयुक्त वेब पोर्टल/मंच विकसित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

एम. वी. संशोधन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को किसी भी तकनीकी एजेंसी के साथ समन्वय में लागू करने और बड़े पैमाने पर जनता के लिए अधिसूचित करने के उद्देश्य से हितधारक।

इस न्यायालय की रजिस्ट्री को इस निर्णय की प्रति सभी उच्च न्यायालयों के महापंजीयक को प्रसारित करने का निर्देश दिया जाता है और

कार्यान्वयन और उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/प्रशासक

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम। [पैरा 62] [81-सी-एच; 82-ए-एच; 83-ए-एच; 84-ए-बी]

जय प्रकाश बनाम. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य। (2010) 2

इसके बाद एस. सी. सी. 607 [2009] 16 एस. सी. आर. 710 आया।

राजेश त्यागी और अन्य। वी. जयबीर सिंह और अन्य। 2009 एससीसी ऑनलाइन

देल 4306; राजेश त्यागी और अन्य। वी. जयबीर सिंह और अन्य। 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 7626; एम. आर. कृष्ण मूर्ति बनाम

नया

[2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंडिया एस्योरेंस कं. लिमिटेड 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 325

स्वीकृत किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 16 एससीआर 710

पीछा किया।

पैरा 13

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 9322

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 06.09.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आदेश No.3303/2018 से पहली अपील में इलाहाबाद का।

ए. एन. कृष्णास्वामी, अधिवक्ता। (न्यायमित्र) श्रीमती रानी छाबड़ा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री गरिमा प्रसाद, एस. पी. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , निशित अग्रवाल, हर्ष

मिश्रा, शादाब खान, सुश्री उपासना अग्रवाल, सुश्री कनिष्क मित्तल, सुश्री पूजा अग्रवाल, सुश्री कीर्ति दत्त, शक्ति सिंह, सुश्री साक्षी कक्कड़, सिद्धार्थ मेहता, समीर अभ्यंकर, विवेक गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. के. माहेश्वरी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. दिनांकित अंतिम आदेश पर तत्काल अपील दायर की गई है।

06.09.2018 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2018 के आदेश संख्या 3303 से पहली अपील में पारित किया गया, जिसके माध्यम से 2012 के एम. ए. सी. पी. संख्या 1107 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संक्षिप्त 'एम. ए. सी. टी.' के लिए) द्वारा पारित दिनांकित 04.05.2018 के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया गया है। एम. ए. सी. टी. ने दावा याचिका को स्वीकार कर लिया और एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। 31,90,000 / - (केवल इकतीस लाख

और नब्बे हजार) प्रत्यर्थी संख्या के पक्ष में। 6 , 7 और 8 (मृतक के कानूनी प्रतिनिधि और इसके बाद 'दावेदार' के रूप में संदर्भित) का भुगतान प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा किया जाना है।

(बीमा कंपनी), अपीलार्थी (जिसे इसके बाद मालिक के रूप में संदर्भित किया गया है) से उसी की वसूली करने के लिए आगे के निर्देश के साथ, जो दायित्व से ग्रस्त था।

3. संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि दुर्घटना की तारीख को, यानी 29.07.2012,

मृतक 24 वर्षीय था और डी. आर. वी. ड्रिंक्स प्राइवेट में प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहा था। लि. जब वे कारखाने से घर लौट रहे थे, उनकी कार को संहवाली गांव (यू. पी.) के पास बायपास रोड पर अपीलार्थी के स्वामित्व वाली एक बस ने पीछे से टक्कर मार दी। मृतक को गंभीर चोटें आईं-गोहर मोहम्मद बनाम।

अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। चालक के साथ-साथ उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 19.01.2012 पर, दावेदारों द्वारा MACT के समक्ष मुआवजे की मांग करते हुए दावा याचिका दायर की गई थी।

रु. 4,19,00,000 / - (केवल चार करोड़ और उन्नीस लाख) विभिन्न शीर्षों के तहत।

4. एम. ए. सी. टी. ने 04.05.2018 दिनांकित आदेश के माध्यम से दावे की अनुमति दी।

मृतक को रुपये के रूप में स्वीकार किया गया था। 3,09,660 / - व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती करने के बाद, 18 का गुणक लागू किया गया था। यह माना गया कि वाहन को परमिट की शर्तों के अनुसार संचालित नहीं किया जा रहा था और यह बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन था, इसलिए उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

5. अपीलार्थी ने दायित्व के मुद्दे पर आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि अन्य बातों के साथ-साथ दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और प्रस्तुत किया गया कि उल्लंघन करने वाले वाहन का बीमा बीमा कंपनी द्वारा दायित्व की क्षतिपूर्ति के साथ किया गया था। अपीलार्थी ने आगे तर्क दिया कि वह

जिस मार्ग के लिए शुल्क का भुगतान किया गया था, उस मार्ग पर बस चलाने के लिए विशेष अस्थायी प्राधिकरण (संक्षेप में 'परमिट') था। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के माध्यम से एम. ए. सी. टी. के निष्कर्षों की पुष्टि की और कहा कि वाहन का मालिक

मूल परमिट प्रस्तुत करने में विफल रहा और परिवहन विभाग से व्यक्ति को फोन करके भी यह साबित नहीं कर सका, अनुपस्थिति में, दावा न्यायाधिकरण ने मालिक के खिलाफ दायित्व के मुद्दे का सही फैसला किया।

6. निम्नलिखित न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी ने तत्काल अपील को काफी हद तक इस आधार पर चुनौती दी कि मूल परमिट प्रस्तुत करने में विफलता से उसके खिलाफ कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, विशेष रूप से जब ऐसा परमिट परिवहन प्राधिकरण द्वारा विधिवत जारी किया गया है और सूचना का अधिकार अधिनियम (संक्षेप में 'आर. टी. आई. अधिनियम') के तहत जवाब में पुष्टि की गई है। यह आगे तर्क दिया गया कि अपीलार्थी के पास वैध परमिट था क्योंकि उसने परमिट जारी करने की तारीख के बाद अगले दिन देय शुल्क जमा कर दिया था और इसलिए, अदालतों का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी के पास वैध परमिट नहीं था, इस प्रकार के भुगतान के लिए दायित्व को निर्धारित करता है

क्षतिपूर्ति अन्यायपूर्ण है।

7. इसके विपरीत, राज्य के साथ-साथ बीमा कंपनी ने मुख्य रूप से निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि उल्लंघन करने वाले वाहन को परमिट के नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा था और बीमा [2022] 9 एस. सी. आर. के नियमों और शर्तों का भी उल्लंघन किया जा रहा था।

नीति। यह भी तर्क दिया गया है कि उल्लंघन करने वाला वाहन 2009 में राज्य परिवहन सेवाओं से वापस ले लिया गया था और अब प्रतिवादी संख्या 1 के नियंत्रण में नहीं था, इसलिए, देयता के मुद्दे का सही निर्णय लिया गया है।

8. पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन पर, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि

दुर्घटना, अपीलार्थी के पास उस मार्ग पर उल्लंघन करने वाले वाहन को चलाने के लिए वैध और प्रभावी परमिट नहीं था जहां दुर्घटना हुई थी। तथ्य-निष्कर्षण अभ्यास को व्यापक रूप से देखने के बाद, एम. ए. सी. टी. द्वारा यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि अपीलार्थी न तो मूल परमिट प्रस्तुत करने/साबित करने में सक्षम था और न ही आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी को साबित करने में सक्षम था। भले ही आर. टी. आई. जानकारी पर विचार किया जाए जिसके द्वारा यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित परमिट कब और किसके द्वारा जारी किया गया था। कथित परमिट 28.07.2012, यानी शनिवार को जारी किया गया था और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण रिकॉर्ड में नहीं है कि अगले दिन यानी रविवार को शुल्क जमा करने के लिए क्यों कहा गया था। इसके अलावा, यह मानते हुए कि परमिट परिवहन पत्र के अनुसार मान्य था प्राधिकरण, लेकिन यह अपीलार्थी के लिए कोई मदद नहीं करता है क्योंकि वाहन परमिट में निर्दिष्ट मार्ग से अलग मार्ग पर चलाया जा रहा था। अपीलार्थी एम. ए. सी. टी. द्वारा रुड़की से मेरठ होते हुए हरिद्वार जाने वाले मार्ग पर वाहन चलाने के लिए की गई टिप्पणियों का खंडन करने के लिए कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है जो परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट के मार्ग के भीतर नहीं आता था।

तथ्य के उक्त निष्कर्षों की उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश द्वारा पुष्टि की गई है।

9. अभिलेख के माध्यम से जाने के बाद, तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं क्योंकि वे अपमानजनक रूप से अवज्ञा नहीं करते हैं

तर्क के रूप में अतार्किकता की बुराई से पीड़ित होना और न ही विकृत होने का दोष देना। पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्क किसी भी योग्यता से रहित हैं, इसलिए इस अपील को एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

10. अपील की सुनवाई के दौरान सुश्री रानी छाबड़ा, श्री समीर अभ्यंकर, सुश्री साक्षी कक्कड़ और श्री विवेक गुप्ता को पता चला कि

पक्षों के वकील ने निचली अदालत या अपीलीय स्तर पर दावों के मामलों के निपटारे में देरी के बारे में चिंता व्यक्त की है। जोर दिया गया है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 (संक्षेप में एम. वी. संशोधन अधिनियम) के 'उद्देश्यों और कारणों' के लिए बनाया गया है, जो मृतक के परिवार और स्थायी विकलांगता सहित चोटों से पीड़ित व्यक्तियों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के इरादे से लाया गया एक परोपकारी कानून है। यह कहा जाता है कि गोहर मोहम्मद बनाम का जनादेश।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनता के तहत काम करने वाले दावा न्यायाधिकरणों सहित हितधारकों द्वारा एम. वी. संशोधन अधिनियम, नियमों और निर्दिष्ट उपायों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। 11. यह आग्रह किया जाता है कि व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान के लिए मौद्रिक संदर्भ में मुआवजे का भुगतान करने का कानून दावेदार को उसकी मूल स्थिति में नहीं रख सकता है। एक गलत कार्य के लिए पर्याप्त राशि क्या हो सकती है, यह एक चरम कार्य है। के मामले में मुआवजे का भुगतान

मोटर दुर्घटना के दावे में मृत्यु या शरीर को नुकसान के लिए अंकगणितीय गणना पर आधारित हो सकता है। यह कितना न्यायसंगत और तर्कसंगत है, यह एक समान दृष्टिकोण अपनाने से न्यायालय की संतुष्टि का विषय है। जबकि

मुआवजे का निर्धारण करने के लिए, उसे मुआवजा देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वह फिर से मुकदमा नहीं कर सकता है, इसलिए, नुकसान के मुआवजे का निर्धारण एक चरम कार्य है। इसलिए मुआवजे का आकलन करने में एकरूपता और तर्कसंगतता का पालन करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में, न्याय का वितरण सामाजिक प्रभाव पैदा कर सकता है और मुआवजे के भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए, कानून के आदेश का जल्द से जल्द पालन करने का निर्देश जारी किया जा सकता है।

12. उक्त मुद्दे का विज्ञापन करने के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु, श्री सी. ए. सुंदरम, श्री ए. एन. वेणुगोपाल की सहायता ली जाए।

गौड़ा और विद्वान वकील श्री ए. एन. कृष्ण स्वामी को न्याय मित्र के रूप में माँगा गया था, जिसमें सुश्री गरिमा प्रसाद, यू. पी. राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता शामिल हैं। उन्होंने सही मायने और भावना से न्यायालय के अधिकारी होने के नाते अपनी सहायता प्रदान की है जिसे हम स्वीकार करते हैं।

13. पक्षों के विद्वान वकीलों और विद्वान मित्रों ने मुख्य रूप से एम. वी. संशोधन अधिनियम के संबंध में अपनी दलीलें आगे बढ़ाई हैं।

विशेष रूप से इसके 11 वें अध्याय में, अन्य बातों के साथ-साथ, एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 146,149,159,160,161,164,166 के महत्व पर जोर दिया गया है। यह आग्रह किया जाता है कि मोटर वाहन (पांचवां संशोधन), नियम, 2022 (संक्षेप में "एम. वी. संशोधन नियम") को भी एम. वी. संशोधन अधिनियम के बाद डब्ल्यू. ई. एफ. 1.4.2022 से लागू किया जाए। इससे पहले

दिल्ली उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अधिनियम और नियमों में संशोधन, सभी उच्च न्यायालयों को तैयार और प्रसारित मानक संचालन प्रक्रिया का चयन द्वारा पालन किया गया था, और इसके कार्यान्वयन का परिणाम नगण्य था। लेकिन, अब संशोधन द्वारा, एक वैधानिक व्यवस्था निर्धारित की गई है जिसका अधिकांश राज्यों में पालन नहीं किया जा रहा है। यद्यपि उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसका सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है। हालांकि, एम. वी. संशोधन अधिनियम और नियमों की व्यवस्था को लागू करने के लिए उचित निर्देशों की आवश्यकता है।

क रूप से, [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हितधारकों में शामिल होकर निर्देशों के कार्यान्वयन में बाधा को उचित समझा जा सकता है। इन दलीलों के समर्थन में, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा 'राजेश त्यागी और अन्य के मामले में लिया गया उपाय। बनाम जयबीर सिंह और अन्य। , 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4306 '(संक्षेप में' राजेश त्यागी I '),' जय प्रकाश बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड 'और अन्य। , (2010) 2 एस. सी. सी. 607 '(संक्षेप में' जय प्रकाश I '),' राजेश त्यागी और अन्य। बनाम जयबीर सिंह और अन्य। , 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 7626 '(संक्षेप में' राजेश त्यागी द्वितीय '),' राजेश त्यागी और अन्य। बनाम जयबीर सिंह और अन्य। , 2017 एम. वी. संशोधन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को संदर्भित करने के अलावा, एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4306 '(संक्षेप में "राजेश त्यागी III") पर भरोसा किया गया है।

14. विद्वान परामर्शों को सुनने के बाद, हम इसे आवश्यक समझते हैं

दुर्घटना के समय से दावे के मामलों से निपटने के लिए नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए एम. वी. संशोधन अधिनियम और एम. वी. संशोधन नियमों को कैसे लागू किया गया है, इसके इतिहास का पता लगाएं।

मोटर वाहन अधिनियम का विकास बनाम 2019

संशोधन

15. इस संबंध में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राजेश त्यागी प्रथम (ऊपर) मामले में आने वाली चिंताओं को दूर करने का विशिष्ट प्रयास किया गया था।

उक्त मामले में, न्यायालय ने दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियम, 2008 के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रश्न पर विचार करते हुए और एम. वी. अधिनियम (पूर्व-2019 संशोधन) की धारा 158 (6) ने स्टेशन हाउस अधिकारियों को दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर एम. ए. सी. टी. को 'दुर्घटना सूचना रिपोर्ट' प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और कहा कि रिपोर्ट को जांच के उद्देश्य से एम. ए. सी. टी. द्वारा दावा याचिका के रूप में माना जाए। सुझाव आमंत्रित किए गए और बाद में मोटर दुर्घटना के दावों के मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए एक तंत्र का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। सभी हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 'सहमत प्रक्रिया' का एक मसौदा प्रस्तुत किया और इसके परिणामस्वरूप, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 90 से 120 दिनों के भीतर मोटर दुर्घटना के दावों के समयबद्ध निपटान के लिए 'दावा न्यायाधिकरण सहमत प्रक्रिया' (संक्षेप में 'सी. टी. ए. पी.' के लिए) तैयार की और इसे केवल पायलट परियोजना के रूप में परीक्षण के लिए <आई. डी. 3 से 14.07.2010 तक छह महीने की अवधि के लिए लागू करने का निर्देश दिया। सी. टी. ए. पी. धारा 158 (6) के अलावा, संक्षेप में निम्नानुसार प्रदान किया गया हैः -

दुर्घटना के तथ्य की अनिवार्य सूचना

1 .

48 के भीतर दावा न्यायाधिकरण के जांच अधिकारी

दुर्घटना के घंटे और यदि बीमा के बारे में जानकारी मोहम्मद V.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क खेल निगम [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

कंपनी उस समय तक उपलब्ध हो जाती है, फिर संबंधित बीमा कंपनी को ईमेल द्वारा सूचित किया जाता है;

बीमा द्वारा नामित अधिकारी की नियुक्ति

प्रत्येक मामले के लिए कंपनी की प्राप्ति के तुरंत बाद

संकेत; दुर्घटना से संबंधित जांच अधिकारी द्वारा प्रासंगिक साक्ष्य का संग्रह करने के साथ-साथ

द्वारा दायर की जाने वाली विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) 30 के भीतर दावा न्यायाधिकरण के समक्ष जाँच अधिकारी

दुर्घटना के दिन और संबंधित बीमा कंपनी को उसकी एक प्रति;

कानूनी सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ डी. ए. आर. की प्रति;

आवेदन पर दावा न्यायाधिकरण का विवेकाधिकार

उन मामलों में समय बढ़ाने के लिए जहां जांच अधिकारी अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से 30 दिनों के भीतर जांच पूरी करने में असमर्थ है;

चालक, मालिक, दावेदार और चश्मदीद गवाहों को पेश करना

संबंधित पंजीकरण द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पुलिस और दावा न्यायाधिकरण को दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियम, 2008 के प्रपत्र-डी में प्राधिकरण;

दावा न्यायाधिकरण द्वारा डी. ए. आर. की जाँच

डी. ए. आर. हर तरह से पूर्ण है या नहीं;

मोटर वाहन अधिनियम (2019 संशोधन से पहले) की धारा 166 (4) के तहत जांच अधिकारी द्वारा दायर डी. ए. आर. को दावा याचिका के रूप में माना जाना;

दावा न्यायाधिकरण द्वारा बीमा कंपनी को डी. ए. आर. की जांच करने और मुआवजे की मात्रा के बारे में निर्णय लेने के लिए 30 दिनों का समय देना।

नामित अधिकारी द्वारा उचित आदेश के साथ मुआवजे का आकलन जो [2022] 9 एस. सी. आर. का गठन करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दावेदारों के लिए एक कानूनी प्रस्ताव और मामले में, जब ऐसा प्रस्ताव दावेदार को स्वीकार्य है, तो न्यायाधिकरण 30 दिनों के समय के साथ एक सहमति पुरस्कार पारित करने का दावा करता है।

बीमा कंपनी राशि जमा करने के लिए;

द्वारा दी जाने वाली 30 दिनों से अधिक की समयावधि

13 .

न्यायाधिकरण ने दावेदार को दिए गए प्रस्ताव का जवाब देने का दावा किया

बीमा कंपनी द्वारा;

14 .

धारा के तहत दावा न्यायाधिकरण द्वारा जांच का संचालन

168 और 169 (2019 संशोधन से पहले) और 30 दिनों के भीतर पुरस्कार का पारित होना

दावेदार द्वारा बीमा कंपनी द्वारा दिया गया प्रस्ताव; कानूनी को देय मुआवजे की गणना

15 .

मृतक पीड़ितों के प्रतिनिधि दावे द्वारा किए जाएँगे

माननीय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार न्यायाधिकरण। सरला वर्मा बनाम डी. टी. सी., 2009 में उच्चतम न्यायालय (6) स्केल 129 ';

दावा न्यायाधिकरण द्वारा न्यूनतम मजदूरी पर विचार किया जाएगा

16 .

ऐसे मामले जहां मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के पास आय के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है

मृतक का;

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर विचार

17 .

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में न्यायालय। बनाम फरजाना, मैक। APP.13/2007 'बच्चे की मृत्यु के मामले में।

16. उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को सी. टी. ए. पी. के कार्यान्वयन के लिए "दुर्घटना जांच नियमावली" तैयार करने का भी निर्देश दिया। उत्पादन में, इसने मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना में क्रांति ला दी जिसके कारण दावेदार को दुर्घटना के 120 दिनों के भीतर मुआवजा मिल गया।

17. इस न्यायालय द्वारा 'जय प्रकाश I' (उपरोक्त) में एक और उल्लेखनीय प्रयास किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने प्रमुख रूप से चार मुद्दों की पहचान की थी, पहला, 'हिट एंड रन' के मामलों में मुआवजे का अनुदान जहां वाहन अज्ञात रहते हैं, जिनके पास बीमा कवर नहीं होता है, जिसमें तीसरा पक्ष होता है।

बीमा लेकिन बीमा द्वारा कवर नहीं किए गए व्यक्तियों को ले जाना '; दूसरा,' यात्री यातायात के लिए माल वाहनों का उपयोग करने की व्यापक प्रथा '; तीसरा,' मोटर दुर्घटना द्वारा दावों के निर्णय में प्रक्रियात्मक देरी '।

न्यायाधिकरण का दावा करता है और पीड़ितों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और चौथा, हर मोहम्मद बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम [जे. के. माहेश्वरी, जे.]पीड़ितों तक नहीं पहुँचने वाले मुआवजे की राशि, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अशिक्षित हैं। न्यायमित्र द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करते हुए विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिनांकित आदेश के माध्यम से

2009 दिशा-निर्देश/निर्देश इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए थे जिनका पालन किया जाना था

तीन चरणों को संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

पुलिस अधिकारियों को निर्देश

प्रत्येक राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया जाता है कि

1 .

राज्य के सभी पुलिस थानों को मोटर वाहन अधिनियम (2019 संशोधन से पहले) की धारा 158 (6) के प्रावधानों का पालन करने और दुर्घटना की जानकारी जमा करने का निर्देश देना।

रिपोर्ट प्रपत्र सं। 54 पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर क्षेत्राधिकार वाली एम. ए. सी. टी. और बीमा कंपनी को प्रथम सूचना रिपोर्ट, साइट स्केच/मजार/तस्वीरें, बीमा पॉलिसी आदि की प्रतियां साथ में भेजें। एफ. आई. आर.;

दावा न्यायाधिकरणों को निर्देश

प्रत्येक उच्च न्यायालय के महापंजीयक को निर्देश दिया जाता है कि

1 .

अपने राज्य के सभी दावा न्यायाधिकरण को अधिनियम की धारा 158 (6) के तहत प्राप्त दुर्घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करने और उन्हें दर्ज करने की प्रतीक्षा किए बिना उनसे निपटने का निर्देश दें।

याचिका दायर करें। इसके अलावा, महापंजीयक यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक रजिस्टर, प्रपत्र और अन्य सहायता

न्यायाधिकरण तक विस्तारित; न्यायाधिकरण के लिए एक संस्थान रजिस्टर बनाए रखेगा

2 .

से प्राप्त दुर्घटना सूचना रिपोर्ट रिकॉर्ड करना

स्टेशन हाउस अधिकारी और उन्हें पंजीकृत करें विविध याचिकाएँ। ट्रिब्यूनल आगे एक तारीख तय करेगा

दावेदार, इसे दावा याचिका में परिवर्तित किया जाएगा; न्यायाधिकरण स्वयं को संतुष्ट करेगा कि दुर्घटना की जानकारी

3 .

रिपोर्ट एक वास्तविक दुर्घटना से संबंधित है और किसी भी मिलीभगत या मनगढ़ंत घटना का परिणाम नहीं है;

बीमा द्वारा देयता का विवाद न होने की स्थिति में

4 .

कंपनी, न्यायाधिकरण यह निर्धारित करने का प्रयास करेगा कि

क्षतिपूर्ति राशि को संक्षिप्त जांच द्वारा या मामले को निपटान के लिए लोक अदालत को भेजें और निपटान [2022] 9 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

दावा याचिका स्वयं दावा याचिका के पंजीकरण की तारीख से छह महीने से अधिक की समय सीमा के भीतर;

न्यायाधिकरण बीमा कंपनी को जमा करने का निर्देश देगा

दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने के 30 दिनों के भीतर स्वीकृत राशि या निर्धारित राशि;

बीमा कंपनियों के लिए अनुमान

बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करेगी परिवार के लिए मानक सूत्र (कानूनी प्रतिनिधि)

न्यायाधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना मृतक का या

लोक अदालत द्वारा समझौता;

बीमा कंपनी द्वारा चोटों और दायित्व के गैर-विवाद के मामले में, बीमाकर्ता को मुआवजे की प्रतीक्षा किए बिना घायलों को अपने खर्च पर उपचार की पेशकश करनी चाहिए।

न्यायाधिकरण;

परिवारों को दिए गए मुआवजे की राशि की रक्षा और संरक्षण के लिए, परामर्श पर विशेष योजनाएं

राष्ट्रीयकृत बैंकों और जीवन बीमा के साथ

भारतीय निगम द्वारा विचार किया जा सकता है

बीमा कंपनियां जिनके तहत मुआवजे को उचित अवधि के लिए सावधि जमा में रखा जाता है और बैंक द्वारा मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है; बीमा कंपनियां एकमुश्त मुआवजे के बजाय वार्षिकी की पेशकश करने पर भी विचार कर सकती हैं और एक योजना तैयार कर सकती हैं।

जीवन बीमा की भागीदारी के साथ वार्षिकी योजना

भारतीय निगम।

विधायी/कार्यकारी हस्तक्षेप के लिए प्रस्ताव

सड़क दुर्घटना के सभी पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अधिक व्यापक योजना का निर्माण

दुर्घटनाएँ;

हाइब्रिड मॉडल की शुरुआत जिसमें प्रत्येक वाहन के संबंध में निश्चित आजीवन प्रीमियम का संग्रह और सड़क दुर्घटना उपकर लगाना शामिल है जो भारत जैसे विशाल देश में अधिक संतोषजनक समाधान प्रदान कर सकता है।

किसी अन्य दुर्घटना पीड़ित को कवर करने के लिए 'थर्ड पार्टी' को परिभाषित करें।

3 .

मालिक की तुलना में और यदि आवश्यक हो तो प्रीमियम बढ़ाएँ;

अधिनियम की दूसरी अनुसूची को तर्कसंगत बनाने पर विचार करें।

4 .

और हिट एंड रन के मामले में अधिनियम की धारा 161 के तहत देय मुआवजे की मात्रा में वृद्धि करना।

मोटर दुर्घटनाएँ;

सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को सुरक्षित मुआवजा

5 .

वाहन के मालिक को प्रतिभूति की पेशकश करने या पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त राशि जमा करने का निर्देश देकर बीमाकृत वाहनों को शामिल करना।

जब्त वाहन।

18. समय के आगमन के साथ, न्यायालयों द्वारा जारी किए गए सुझावों और दिशानिर्देशों को अधिकारियों द्वारा अपनाया और लागू किया गया। प्रगति अदालत के विचार के लिए हितधारकों द्वारा नियमित अंतराल पर रिपोर्ट दायर की जाती थी। इसी तरह, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राजेश त्यागी प्रथम (उपरोक्त) में दिए गए निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए, सी. टी. ए. पी. को दिल्ली क्षेत्र में लागू किया गया था और इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन में कुछ खामियों की पहचान की गई थी। सभी हितधारकों को शामिल करते हुए बैठकें आयोजित की गईं

और दिशानिर्देशों को अधिक कुशल बनाने के लिए निगमन के लिए न्यायालय के समक्ष आगे के सुझाव प्रस्तुत किए गए। सुझावों पर विधिवत विचार किया गया और दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'राजेश त्यागी द्वितीय' (ऊपर) में दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से सुझावों को शामिल किया और संशोधित दावा न्यायाधिकरण सहमत प्रक्रिया को लागू करने के लिए जोड़ा।

तीन महीने की समाप्ति के बाद समीक्षा के अधीन छह महीने की अवधि के लिए 01.02.2015 से प्रभाव। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किए गए और अनुमोदित संशोधनों का सार निम्नलिखित हैः

जाँच अधिकारी द्वारा दुर्घटना की सूचना

1 .

संशोधित प्रक्रिया के प्रपत्र I में होना चाहिए (खंड)

2) ;

जाँच अधिकारी द्वारा एकत्र किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

2 .

खंड 3 के तहत दिया गया है;

द्वारा दायर की जाने वाली विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर)

3 .

जाँच अधिकारी संशोधित के प्रपत्र II में होगा।

प्रक्रिया;

जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह निर्देश मांगे

4 .

डी. ए. आर. के प्रपत्र II के भाग X में दावा न्यायाधिकरण, घटना में [2022] 9 एस. सी. आर.

ड्राइवर/दावेदार/मालिक/बीमा कंपनी की प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने और 15 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष दस्तावेज पेश करने में विफलता;

5 .

डी. ए. आर. द्वारा सत्यापित कराने का बीमा कंपनियों का कर्तव्य

डी. ए. आर. की प्रति प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर उनका सर्वेक्षणकर्ता (खंड 20); बीमा कंपनी के नामित अधिकारी की रिपोर्ट

6 .

संशोधित प्रक्रिया के प्रपत्र III में होगा (खंड 21);

दावा न्यायाधिकरण का कर्तव्य है कि वह सच्चाई को उजागर करे और संतुष्ट करे

7 .

स्वयं यह कि डी. ए. आर. में दिए गए कथन पहले भी सही हैं

पुरस्कार पारित करना (खंड 24);

दावेदारों की जांच करने का दावा न्यायाधिकरण का कर्तव्य

8 .

उनकी वित्तीय स्थिति, निवास का प्रमाण आदि का पता लगाने के लिए पुरस्कार पारित करने से पहले। (खंड 26);

पुरस्कार राशि जमा करने का तरीका निर्दिष्ट किया जाएगा -

9 .

दावा न्यायाधिकरण (खंड 27);

दावा न्यायाधिकरण के लिए एक उचित आदेश पारित करने के लिए

10 .

पुरस्कार राशि का संरक्षण (खंड 28);

दावा न्यायाधिकरण के अनुपालन पर विचार करेगा

11 .

पुरस्कार में प्रावधान (खंड 29);

दावा न्यायाधिकरण रिपोर्ट करने के लिए एक तारीख तय करेगा।

12 .

अनुपालन (खंड 30);

डी. ए. आर. की प्रति के साथ-साथ संबंधित को भेजे जाने वाले पुरस्कार

13 .

मजिस्ट्रेट (खंड 31);

14. दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार का अभिलेख होगा -

प्रपत्र V (खंड 33) में बनाए रखा गया;

19. उपरोक्त संशोधित प्रक्रिया को एक मुहर दी गई थी

जय में पारित 13.05.2016 दिनांकित आदेश के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रइश I (ऊपर), के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए

दिनांकित पिछले आदेश द्वारा सुझाए गए परिवर्तन

2009. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित संशोधित प्रक्रिया रिकॉर्ड में थी और अवलोकन के बाद, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" हमने उस प्रक्रिया का भी अध्ययन किया है, जिसे रखा गया है।

हमारे सामने अनुलग्नक आर 5 के रूप में प्रतिक्रिया के साथ, जो हमारे गोहर मोहम्मद वी में है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

दृष्टिकोण, एक व्यापक प्रतीत होता है और हम कर सकते हैं

दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक को यह सुनिश्चित करने के लिए आगे निर्देश जारी करें कि जहां तक दिल्ली का संबंध है, प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए और उक्त प्रक्रिया को अन्य सभी उच्च न्यायालयों में भी प्रसारित किया जाए और अन्य सभी उच्च न्यायालयों के महापंजीयक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि उक्त प्रक्रिया को मोटर दुर्घटना दावों के माध्यम से लागू किया जाए

न्यायाधिकरण ने कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ-साथ राज्यों के पुलिस महानिदेशक के साथ समन्वय किया

चिंतित हैं। "

इसके बाद, इस न्यायालय ने दिनांक 06.11.2017 के आदेश के माध्यम से, अपने पूर्व आदेश दिनांक 13.05.2016 को संशोधित किया और सभी राज्यों को इसे लागू करने का निर्देश दिया।

' संशोधित सी. टी. ए. पी. 'निम्नलिखित रूप में अवलोकन करते हुए -

" इसलिए दिनांकित 13.05.2016 आदेश इस हद तक संशोधित होगा कि न्यायमूर्ति मिधा ने स्वयं 12 दिसंबर, 2014 को अपने पहले के आदेश को संशोधित किया है। रजिस्ट्री इस आदेश की एक प्रति के साथ-साथ न्यायमूर्ति मिधा द्वारा 12 दिसंबर, 2014 को पारित आदेश की एक प्रति आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय के महापंजीयक को भेजेगी।

मामले को 23 जनवरी, 2018 को सूचीबद्ध करें।

20. दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के अनुसरण में, राजेश त्यागी प्रथम (उपरोक्त) मामले की कार्यवाही दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जारी रही।

अदालत और दिनांक 07.12.2018 (संक्षेप में 'राजेश त्यागी III') के आदेश के माध्यम से,

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संशोधित सी. टी. ए. पी. में कुछ और निर्देश शामिल किए। हालाँकि, संशोधित प्रक्रिया का प्रभावी कार्यान्वयन सभी स्तरों पर एक निरंतर बाधा बना रहा, विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा जय प्रकाश I (ऊपर) में दिनांकित 13.05.2016 और 06.11.2017 के आदेश के अनुसार दिए गए निर्देशों के संदर्भ में। उक्त चिंता फिर से इस न्यायालय के समक्ष 'एम. आर. कृष्ण मूर्ति बनाम में विचार के लिए आई। द न्यू इंडिया

आश्वासन कंपनी लिमिटेड, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 325 ', जिसमें, दिनांक 05.03.2019 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि अखिल भारतीय स्तर पर दावा न्यायाधिकरणों द्वारा संशोधित सी. टी. ए. पी. का कोई प्रभावी कार्यान्वयन नहीं किया गया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को इस मामले को उठाने और विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय और सहयोग में इसकी निगरानी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, राज्य न्यायिक अकादमियों को संशोधित सी. टी. ए. पी. के कार्यान्वयन के लिए दावा न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और बीमा कंपनियों को संवेदनशील बनाने के निर्देश भी दिए गए। अंत में, यह न्यायालय भी [2022] 9 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

दावा न्यायाधिकरण पूरे भारत में 'मोटर दुर्घटना' को लागू करेंगे

इक्विटी जमा योजना '(संक्षेप में' एम. ए. सी. ए. डी. योजना ')

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राजेश त्यागी तृतीय (ऊपर) में। द.

तैयार संदर्भ के लिए नीचे ग्राफों को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है -

उपरोक्त ए. डी. आर. विधियों के बावजूद,

एम. ए. सी. टी. के समक्ष न्यायिक प्रक्रिया है

अपरिहार्य है। इस बात की गारंटी नहीं हो सकती कि 100%

यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाओं का निपटान एक अवधि के भीतर किया जाए 90/120 दुर्घटना की तारीख से दिन। संक्षेप में, ये

निर्देशों में यह शामिल है कि दुर्घटना की घटना पर,

उदाहरण के लिए, जाँच पूरी करनी चाहिए और साथ में संबंधित न्यायालय के समक्ष एफ. आई. आर. दर्ज करने के साथ

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रतियां एम. ए. सी. टी. को भेजी जाती हैं बीमा कंपनी भी। बीमा कंपनी

यह पता लगाने के लिए उसी पर गौर करना चाहिए क्या दावा देय है और 30 दिनों के भीतर

एम. ए. सी. टी. को जवाब देना चाहिए और एक बार इन सभी दस्तावेजों का

साक्ष्य आदि के रूप में एम. ए. सी. टी. के समक्ष हैं। खैर, यह एम. ए. सी. टी. को मामले का फैसला करने में सक्षम बनाएगा

30 दिन होते हैं। जय प्रकाश में दिनांक 06 नवंबर, 2017 के आदेश के माध्यम से

न्यायाधिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त की 12 दिसंबर, 2014 को न्यायालय। संशोधित की प्रति

दावा न्यायाधिकरण सहमत प्रक्रिया का निर्देश दिया गया था

प्रत्येक उच्च न्यायालय के महापंजीयक को वितरित किया गया

अनुपालन के लिए आवश्यक..

इसका अखिल भारतीय स्तर पर पालन करने की आवश्यकता है। एनएएलएसए

इसे भी अपनाना चाहिए और निगरानी करनी चाहिए

विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय और सहयोग

उसी को सुविधाजनक बनाने के लिए।

XXX

XXX

XXX गोहर मोहम्मद v. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

37. इस प्रकार, 'दावों' के कार्यान्वयन के लिए निर्देश

अध्यक्ष को संवेदनशील बनाने के लिए सभी राज्य न्यायिक अकादमियों में समय-समय पर कार्यक्रम होने चाहिए। उक्त प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए दावा न्यायाधिकरणों के अधिकारी, राज्य पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और साथ ही बीमा कंपनी।

21. इस न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर परिवहन मंत्रियों के समूह द्वारा सिफारिशें की गई थीं

(अन्य हितधारकों के साथ राज्यों का जीओएम)। केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार, परिवहन विभागों के साथ नागरिकों को उनके व्यवहार में सुविधा प्रदान करने, ग्रामीण परिवहन, सार्वजनिक परिवहन, स्वचालन, कम्प्यूटरीकरण और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से अंतिम छोर तक संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से 'मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019' पेश किया। उपरोक्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के रूप में पारित किया गया था।

22. नए संशोधन के साथ, पूर्ववर्ती अधिनियम के 'अध्याय X' को हटा दिया गया था। अध्याय 11-मोटर वाहनों का बीमा

थर्ड पार्टी रिस्क और चैप्टर XII-क्लेम ट्रिब्यूनल को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार संशोधित किया गया था जो W. E. F. 1.4.2022 लागू हुआ था। इस मामले के उद्देश्य के लिए, हम मुख्य रूप से संशोधन अधिनियम के अध्याय 11 और 12 और इसके लिए नियमों से संबंधित हैं।

बीमा की आवश्यकता, पुलिस अधिकारी के लिए निर्दिष्ट कर्तव्यों, पंजीकरण प्राधिकरण, बीमा कंपनियों और क्लैम न्यायाधिकरणों पर जोर देना

क्षतिपूर्ति निर्धारित करें।

वाहन के बीमा की आवश्यकताः

23. धारा 146 में किए गए संशोधन के आधार पर मोटर वाहन का बीमा आवश्यक बना दिया गया है। अतः उक्त धारा प्रासंगिक है।

निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गयाः

“ 146 : तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ बीमा की आवश्यकता।

(1) जब तक [2022] 9 एस. सी. आर. के उपयोग के संबंध में लागू न हो, तब तक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर एक यात्री के रूप में, या किसी अन्य व्यक्ति को मोटर वाहन का उपयोग करने या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा वाहन, जैसा भी मामला हो, इन आवश्यकताओं के साथ बीमा की पॉलिसी

अध्यायः [बशर्ते कि खतरनाक या खतरनाक सामान ले जाने वाले या ले जाने वाले वाहन के मामले में भी एक

सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) के तहत बीमा की नीति।] स्पष्टीकरण। -केवल एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में मोटर वाहन चलाने वाला व्यक्ति, जबकि वाहन के उपयोग के संबंध में ऐसी कोई नीति लागू नहीं है जो इस उप-धारा द्वारा आवश्यक है, तब तक उप-धारा के उल्लंघन में कार्य करने वाला नहीं माना जाएगा जब तक कि वह नहीं जानता या उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि ऐसी कोई नीति लागू नहीं है।

(2) उप-धारा (1) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले और सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन पर लागू नहीं होगी जिसका किसी भी वाणिज्यिक से कोई संबंध नहीं है।

उद्यम।

(3) उपयुक्त सरकार, आदेश द्वारा, इससे छूट दे सकती है -

उप-धारा (1) के तहत निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसी के स्वामित्व वाले किसी भी वाहन का संचालन, अर्थात्:

(क) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यदि वाहन का उपयोग सरकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है

कोई भी वाणिज्यिक उद्यम; ((ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(ग) कोई भी राज्य परिवहन उपक्रमः

बशर्ते कि ऐसे किसी प्राधिकरण के संबंध में ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि कोई निधि स्थापित नहीं की गई हो और

इस अधिनियम के तहत उस प्राधिकरण द्वारा उस प्राधिकरण के किसी भी वाहन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उस प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, जो उस प्राधिकरण या उसके रोजगार में कोई भी व्यक्ति तीसरे के लिए वहन कर सकता है।

पार्टियाँ।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "उपयुक्त सरकार" का अर्थ है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, और गोहर मोहम्मद v.

((i) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में, इसका अर्थ है केंद्र सरकार या वह राज्य सरकार;
((ख) केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में,

इसका अर्थ है केंद्र सरकार;

((ग) किसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में, इसका अर्थ है वह सरकार जिसका नियंत्रण है।
उस उपक्रम या प्राधिकरण के ऊपर।

24. एम. वी. संशोधन अधिनियम, विशेष रूप से अध्याय 11 की धारा 146 को देखने पर, यह स्पष्ट है कि एक मोटर वाहन सार्वजनिक स्थान पर नहीं चल सकता है और न ही सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने की अनुमति है जब तक कि बीमाकृत न हो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए बीमा से छूट निर्धारित की गई है, यदि वाहन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जो किसी भी वाणिज्यिक उद्यम से जुड़ा नहीं है। उप-धारा (2) में निर्दिष्ट छूट उपयुक्त सरकार के आदेशों के अधीन हैं। उक्त प्रावधानों के अनुसार, उप-धारा (1) की कठोरता उप-धारा (3) (ए) से (सी) में निर्दिष्ट प्राधिकरणों के स्वामित्व वाले वाहनों पर लागू नहीं होगी, बशर्ते कि निधि की स्थापना और ऐसे प्राधिकरण द्वारा इसका रखरखाव किया जाए, जो हो सके।

उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। इस प्रकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वाहनों के वर्ग और श्रेणी को दी गई छूट केवल ऐसे प्राधिकरण द्वारा निधि की स्थापना और रखरखाव पर उपयुक्त सरकार के आदेश के अधीन है। स्थानीय प्राधिकरणों और राज्य परिवहन उपक्रमों के वाहनों के उद्देश्य के लिए उपयुक्त सरकार को भी परिभाषित किया गया है। 25. बीमा के दायित्व की सीमाएं धारा 147 के तहत और एम. वी. संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी की गई पॉलिसी के संदर्भ में निर्धारित की गई हैं। धारा 147 को इस प्रकार दोहराया गया है:

(क) एक व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है जो एक अधिकृत बीमाकर्ता है; और
(ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों का बीमा करता है

उप-धारा (2)-[2022] 9 एस. सी. आर. में निर्दिष्ट सीमा तक नीति।

((i) किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में उसके द्वारा वहन किए जाने वाले किसी भी दायित्व के विरुद्ध,

जिसमें माल का मालिक या वाहन में ले जाए गए उसके अधिकृत प्रतिनिधि] या वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान शामिल है। सार्वजनिक स्थान;

((ii) किसी भी यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट के विरुद्ध

सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उसके कारण उत्पन्न होने वाला सार्वजनिक सेवा वाहनः बशर्ते कि किसी नीति की आवश्यकता नहीं होगी

((i) किसी कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व के अलावा, पॉलिसी द्वारा बीमित व्यक्ति के कर्मचारी की मृत्यु से और उसके रोजगार के दौरान या उसके रोजगार के दौरान हुई शारीरिक चोट के संबंध में दायित्व को कवर करने के लिए।

(क) वाहन चलाने में लगे हुए हैं, या

((ii) किसी भी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए। स्पष्टीकरण। शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति को नुकसान माना जाएगा

सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न होने के कारण, इस बात के बावजूद कि जो व्यक्ति मृत या घायल है या जो संपत्ति क्षतिग्रस्त है वह दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान पर नहीं थी, यदि वह कार्य या चूक जिसके कारण दुर्घटना हुई वह सार्वजनिक स्थान पर हुई थी।

(2) उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट बीमा पॉलिसी किसी भी दुर्घटना के संबंध में उपगत किसी भी दायित्व को निम्नलिखित सीमाओं तक कवर करेगी, अर्थात्ः

ओहार मोहम्मद वी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

(क) खंड (ख) में दिए गए प्रावधान के अलावा, वहन की गई देयता की राशि;

(बी) किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान के संबंध में, ए

छह हजार रुपये की सीमाः

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले किसी भी सीमित देयता के साथ जारी और लागू बीमा की कोई भी पॉलिसी चार साल की अवधि के लिए प्रभावी बनी रहेगी। इस तरह की शुरुआत के महीनों बाद या ऐसी पॉलिसी की समाप्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो।

(3) एहि उद्देश्यक लेल कोनो नीति प्रभावी नहि होयत। अध्याय जब तक और जब तक बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में जारी नहीं किया जाता है जिसके द्वारा पॉलिसी लागू की जाती है, निर्धारित प्रपत्र में बीमा का प्रमाण पत्र जिसमें -

किसी भी शर्त के बारे में निर्धारित विवरण जिसके अधीन नीति जारी की जाती है और किसी अन्य निर्धारित मामलों के बारे में; और विभिन्न मामलों में विभिन्न प्रपत्र, विवरण और मामले निर्धारित किए जा सकते हैं। (4) जहां इस अध्याय या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत बीमाकर्ता द्वारा जारी एक कवर नोट है

निर्धारित समय के भीतर बीमा पॉलिसी का पालन नहीं करने पर, बीमाकर्ता, अवधि समाप्त होने के सात दिनों के भीतर

कवर नोट की वैधता की अवधि, इस तथ्य को उस पंजीकरण प्राधिकरण को सूचित करें जिसके रिकॉर्ड में वह वाहन है जिसे

कवर नोट पंजीकृत किया गया है या इस तरह के अन्य

प्राधिकरण जो राज्य सरकार विहित करे।

(5) किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद इस समय लागू होने पर, इस धारा के तहत बीमा पॉलिसी जारी करने वाला बीमाकर्ता उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा या

नीति में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग देयता जिसे पॉलिसी उस मामले में कवर करने का इरादा रखती है

व्यक्ति या व्यक्तियों के उन वर्गों।

उपरोक्त प्रावधान निर्दिष्ट करता है कि बीमा पॉलिसियों की क्या आवश्यकताएँ हो सकती हैं और बीमा होने पर, दावेदारों को भुगतान करने के लिए देयता की सीमाएँ।

पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई और पंजीकरण

[2022] 9 एस. सी. आर. की प्राप्ति की घटना में प्राधिकरण

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सार्वजनिक स्थानों पर मोटर वाहन के उपयोग से हुई घटना

स्थानः

26. प्रक्रिया का पालन करते समय, जहां कोई दुर्घटना हुई है, दुर्घटना के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है पुलिस अधिकारी। एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 159 और 160 के तहत पुलिस अधिकारी और पंजीकरण प्राधिकरण की जानकारी और कर्तव्यों के संबंध में प्रासंगिक प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं, जो हैं -

इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गयाः

दुर्घटना के संबंध में दी जाने वाली जानकारी। द.

" 159 .

पुलिस अधिकारी, जाँच के दौरान, दुर्घटना की सुविधा के लिए एक दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार करेगा।

दावे का ऐसे रूप और तरीके से निपटान

तीन महीने और ऐसे विवरणों को दावा न्यायाधिकरण और ऐसे अन्य लोगों को प्रस्तुत करें।

एजेंसी जो विहित की जाए। "

160 .

एक पंजीकरण प्राधिकरण या एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, यदि ऐसा किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यक है जो आरोप लगाता है कि वह एक के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के संबंध में मुआवजे का दावा करने का हकदार है

मोटर वाहन, या यदि किसी बीमाकर्ता द्वारा ऐसा आवश्यक है जिसके खिलाफ किसी मोटर के संबंध में दावा किया गया है

वाहन, उस व्यक्ति या उस बीमाकर्ता को, जैसा भी मामला हो, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, उक्त प्राधिकरण के निपटान में कोई भी जानकारी प्रदान करें।

या वाहन के पहचान चिह्नों और अन्य विवरणों से संबंधित उक्त पुलिस अधिकारी और उस व्यक्ति का नाम और पता जो दुर्घटना के समय वाहन का उपयोग कर रहा था या दुर्घटना में घायल हो गया था।
वह और संपत्ति, यदि कोई हो, ऐसे रूप में और ऐसे समय के भीतर क्षतिग्रस्त हो जाए जो केंद्र सरकार कर सकती है।

निर्धारित करें "।

27. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर और जाँच के दौरान, पुलिस अधिकारी को

दुर्घटना सूचना रिपोर्ट (ए. आई. आर.) तैयार करना और निर्धारित तरीके से दावे के निपटारे में एक सहायक के रूप में काम करना और दावा न्यायाधिकरण और अन्य हितधारकों को जानकारी प्रदान करना, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है। पुलिस अधिकारी और पंजीकरण प्राधिकरण को गोहर मोहम्मद बनाम को आरोपमुक्त करना होता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क

परिवहन निगम [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

भुगतान पर जानकारी को सुविधाजनक बनाने और प्रस्तुत करने के लिए उनके कार्य

मुआवजे के हकदार व्यक्ति या बीमाकर्ता के लिए निर्धारित शुल्क, जिसके खिलाफ दावा किया गया है। वे भी सुविधा प्रदान करेंगे

दुर्घटना के समय वाहन का उपयोग करने वाले व्यक्ति के वाहन, नाम और पते की पहचान करें और घायल व्यक्ति या संपत्ति के बारे में भी बताएँ।

28. केंद्र सरकार ने अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के इरादे से नियमों को लागू किया, जिन्हें मोटर के नाम से जाना जाता है। वाहन संशोधन नियम, 2022।

29. नियमों के अनुसार, सड़क दुर्घटना की स्थिति में, संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर तुरंत जांच शुरू की जानी चाहिए। जाँच अधिकारी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करेगा, घटना स्थल और उसमें शामिल वाहन की तस्वीरें/वीडियो लेगा, उसके बाद सड़क की चौड़ाई और दुर्घटना में शामिल व्यक्तियों और वाहनों सहित अन्य प्रासंगिक कारकों को इंगित करने के लिए स्थल योजना तैयार करेगा। एक मामले में जाँच अधिकारी अस्पताल में घायलों की तस्वीरें लेगा और चश्मदीद गवाहों/राहगीरों की जाँच करने के लिए मौके पर जाँच करेगा। दुर्घटना के बारे में सूचना जांच अधिकारी द्वारा फॉर्म-I में प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (एफ. ए. आर.) के रूप में दावा न्यायाधिकरण को 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। बीमा पॉलिसी का विवरण होने पर इसे बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी को भेजना आवश्यक है। घायल/पीड़ित, कानूनी प्रतिनिधि, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, बीमाकर्ता भी

फॉर्म-I की प्रति प्रदान की गई है और यदि उपलब्ध हो तो उसे राज्य पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

30. यह जांच अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह सूचित करे

योजना को निर्दिष्ट करते हुए 10 दिनों के भीतर फॉर्म-II संलग्न प्रवाह चार्ट की आपूर्ति करके अपने अधिकारों के संबंध में घायल/पीड़ित/कानूनी प्रतिनिधि

उपचारात्मक उपाय की तलाश करें। जांच अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह 30 दिनों के भीतर क्रमशः चालक (ओं) और मालिक (ओं) से प्रपत्र-III और प्रपत्र-IV में जानकारी मांगे। नई व्यवस्था के अनुसार, जानकारी प्राप्त करने पर, अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (आई. ए. आर.)

जाँच अधिकारी द्वारा 50 के भीतर दावा न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया गया प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ फॉर्म V में दिन। उक्त आई. ए. आर. की एक प्रति मोटर वाहन की बीमा कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी।

सड़क दुर्घटना में शामिल, पीड़ित/दावेदार, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, बीमाकर्ता और सामान्य बीमा परिषद। जांच करने वाला [2022] 9 एस. सी. आर.

अधिकारी या बीमा कंपनी को वाहन ऐप का उपयोग करके चालक और मालिक के विवरण को सत्यापित करने का अधिकार होगा या पंजीकरण प्राधिकरण की मदद लेनी होगी। जाँच अधिकारी कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य है पीड़ित (ओं) या कानूनी प्रतिनिधि (ओं) से प्रासंगिक विवरण

फॉर्म-VI-A को नाबालिग बच्चों के लिए संशोधित किया गया है, जिन्हें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संदर्भ में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। 31. ड्राइवर (ओं), मालिक (ओं) द्वारा फॉर्म III, IV और VI में आवश्यक प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेज जमा करने में विफलता पर,

दावेदार (ओं) या बीमा कंपनी द्वारा कोई भी जानकारी, जांच अधिकारी दावा न्यायाधिकरण के समक्ष हितधारक (ओं) को 15 दिनों के भीतर ऐसी जानकारी देने का निर्देश दे सकता है। पंजीकरण

प्राधिकरण दुर्घटना में शामिल वाहन (वाहनों) के चालक के लाइसेंस, फिटनेस और परमिट को सत्यापित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और 15 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा। इसी तरह, चिकित्सकीय कानूनी रिपोर्ट या पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से अस्पताल को जांच अधिकारी को ऐसी जानकारी प्रदान करनी होती है।

15 दिन होते हैं।

32. जाँच अधिकारी 90 दिनों के भीतर सभी का संकलन करेगा।

साइट प्लान फॉर्म-VIII, मैकेनिकल निरीक्षण रिपोर्ट फॉर्म-IX, सत्यापन रिपोर्ट फॉर्म-X और धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) के तहत रिपोर्ट के साथ फॉर्म-VII में विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR) के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज और सामग्री। दुर्घटना में शामिल वाहन (वाहनों) के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और परमिट को सत्यापित करना पंजीकरण प्राधिकरण का कर्तव्य होगा और इसे आई. ए. आर. और डी. ए. आर. को पूरा करने के लिए 15 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। आई. ए. आर. और डी. ए. आर. दाखिल करने के लिए समय सीमा का विस्तार केवल तभी अनुमत है जब जांच अधिकारी उन मामलों में दावा न्यायाधिकरण से संपर्क करता है जहां पक्ष रहते हैं।

दिन होते हैं। डी. ए. आर. की प्रति पीड़ित (ओं), वाहन (ओं) के मालिक (ओं)/चालक (ओं), इसमें शामिल बीमा कंपनी और राज्य कानूनी प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी। बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी और सामान्य बीमा परिषद सहित सेवा प्राधिकरण।

33. उपरोक्त के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 159 और 160 के प्रावधानों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए,

पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और पंजीकरण प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्दिष्ट अवधि के भीतर नियमों में निर्धारित तरीके से कार्य करें, जिससे दुर्घटना की जानकारी प्राप्त होने पर ऐसी दुर्घटना के बारे में पूरी जानकारी बिना किसी देरी के समय सीमा के भीतर दावा न्यायाधिकरण के समक्ष उपलब्ध कराई जाए। के अनुसार

नियम, पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का पालन करने में विफलता के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जैसा कि राज्य पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिकल्पित है। इस प्रकार, विधायी इरादा स्पष्ट है कि सड़क दुर्घटना की सूचना देने पर जांच अधिकारी को समय सीमा के भीतर अपनी सभी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए और निर्धारित प्रपत्रों में सभी विवरण प्रस्तुत करके पीड़ितों/दावेदारों, बीमा कंपनी के लिए सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए, जिससे दावेदारों को बिना किसी देरी के नुकसान/मुआवजा मिल सकता है।

प्रतिस्पर्धा के अनुदान के लिए ट्राइबल।

34. एम. वी. संशोधन अधिनियम और बनाए गए नियमों के तहत

इसके तहत, अध्याय-10 को हटाकर, नो-फॉल्ट लायबिलिटी के तहत मुआवजे के अनुदान के प्रावधानों को हटा दिया गया है और धारा 149 को लागू करने के लिए विशेष प्रक्रिया तैयार की गई है। उपरोक्त खंड संदर्भ में मुद्दे से निपटने के लिए प्रासंगिक है, इसलिए इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 149. बीमा कंपनी द्वारा निपटान और प्रक्रिया

इसके लिए।

बीमा कंपनी, प्राप्त करने पर

(1)

दुर्घटना की जानकारी, या तो दावेदार से या दुर्घटना सूचना रिपोर्ट के माध्यम से या अन्यथा, ऐसी दुर्घटना से संबंधित दावों को निपटाने के लिए एक अधिकारी को नामित करती है।

बीमा कंपनी द्वारा नामित एक अधिकारी

(2)

मुआवजे के दावे के निपटारे की प्रक्रिया

तीस दिनों के भीतर और ऐसी प्रक्रिया का पालन करने के बाद, जो निर्धारित की जाए, दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावेदार को निपटान के लिए एक प्रस्ताव दें।

केंद्र सरकार द्वारा।

(3) यदि, दावेदार जिसे उप के तहत प्रस्ताव दिया जाता है

धारा

(2), [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(अ)

ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करता है,

-

((i) दावा न्यायाधिकरण ऐसे समझौते का अभिलेख बनाएगा और ऐसे दावे को सहमति से निपटाया गया माना जाएगा; और

((ii) भुगतान बीमा द्वारा किया जाएगा।

निपटान के ऐसे रिकॉर्ड की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी;

(ख) ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए, सुनवाई की तारीख निर्धारित की जाएगी -

दावा न्यायाधिकरण गुण-दोष के आधार पर ऐसे दावे का न्यायनिर्णयन करेगा।

35. धारा 149 के अनुसार, दावेदार से या दुर्घटना सूचना रिपोर्ट (ए. आई. आर.) से दुर्घटना की जानकारी प्राप्त करने पर, बीमा कंपनी दावे के निपटारे के लिए एक 'नामित अधिकारी' की नियुक्ति करेगी। उक्त अधिकारी को ऐसी प्रक्रिया का पालन करते हुए 30 दिनों के भीतर अपना विवरण निर्दिष्ट करते हुए दावेदारों को एक प्रस्ताव देना आवश्यक है, जैसे -

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। धारा 149 की उप-धारा (3) यह स्पष्ट करती है कि नामित अधिकारी द्वारा दिया गया प्रस्ताव या तो हो सकता है।

समझौता करें और ऐसे दावे को सहमति से निपटाया गया मान लें। इस तरह के निपटान पर, बीमा कंपनी द्वारा 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना है। लेकिन, इस तरह के प्रस्ताव की अस्वीकृति की बाद की स्थिति में, दावा न्यायाधिकरण इस तरह के दावे के निर्णय के लिए सुनवाई की तारीख तय करेगा - गुण।

36. एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 164 उन दावों के मामलों से निपटने के लिए प्रासंगिक है जिनमें लापरवाही का अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है और

सिद्ध किया गया और उसी को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

धारा 164-मृत्यु या मृत्यु के मामले में मुआवजे का भुगतान

गंभीर चोट, आदि

(1) इस अधिनियम या किसी अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद

उस समय के लिए अन्य कानून या साधन जिसके पास

कानून का बल, मोटर वाहन का मालिक या अधिकृत

मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न किसी भी दुर्घटना के कारण चोट, मृत्यु के मामले में पांच लाख रुपये की राशि या गंभीर चोट के मामले में ढाई लाख रुपये का मुआवजा कानूनी उत्तराधिकारी या पीड़ित, जैसा भी मामला हो।

(2) उप-धारा (1) के तहत मुआवजे के किसी भी दावे में, दावेदार को यह दलील देने या स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या गंभीर चोट के संबंध में दावा किया गया है, वह किसी गलत कार्य या उपेक्षा या चूक के कारण था।

वाहन या संबंधित वाहन का मालिक या

कोई और व्यक्ति।

(3) जहां, मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या गंभीर चोट के संबंध में, उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत मुआवजे का भुगतान किया गया है, मुआवजे की ऐसी राशि को घटाया जाएगा

इस धारा के तहत देय मुआवजे की राशि।

37. उपरोक्त प्रावधान लाया गया है जहाँ

दावेदार (ओं) को वाहन (ओं) के मालिक (ओं) या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी गलत कार्य या उपेक्षा या चूक का अनुरोध करने या स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए। इसलिए, उप-धारा (1) को एक लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व को सीमित करने वाला प्रभाव दिया गया है। 5 मृत्यु के मामले में एक लाख रुपये। 2.50 कानूनी उत्तराधिकारियों या पीड़ितों को गंभीर चोट लगने की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, लाखों। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अन्य कानून में देय है, तो ऐसी राशि को इस धारा के तहत देय मुआवजे की राशि से कम करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि विधायी इरादा स्पष्ट है कि एक व्यक्ति, जिसे दुर्घटना का सामना करना पड़ा है, उसे उचित और उचित रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए और मृतक के पीड़ितों/परिवार को सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के उपयोग से दुर्घटना के कारण हुई शारीरिक चोट या जीवन की हानि के लिए भुगतान किया जाना चाहिए।

38. निर्णय की उक्त प्रक्रिया के अलावा, दावेदारों के पास दावों से सीधे संपर्क करने का विकल्प होता है

मुआवजे की मांग करते हुए एक आवेदन दायर करके न्यायाधिकरण। धारा 166 का उक्त प्रावधान प्रासंगिक है और इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 166. मुआवजे के लिए आवेदन।

(1) एक से उत्पन्न मुआवजे के लिए आवेदन

की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना

धारा 165 बनाई जा सकती है।

—

((क) उस व्यक्ति द्वारा जिसने चोट पहुँचाई है; या

(ख) संपत्ति के मालिक द्वारा; या [2022] 9 एस. सी. आर.

(ग) जहाँ मृतक के सभी या किसी भी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई हो; या

(घ) घायल व्यक्ति या मृतक के सभी या किसी भी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी एजेंट द्वारा, जैसा भी मामला हो सकता है:

बशर्ते कि जहां के सभी कानूनी प्रतिनिधि मृतक ऐसे किसी भी आवेदन में शामिल नहीं हुए हैं

मुआवजे के लिए आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा और कानूनी प्रतिनिधि जो इस तरह से शामिल नहीं हुए हैं,

बशर्ते कि जहाँ कोई व्यक्ति क्षतिपूर्ति स्वीकार करता है धारा 164 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार

धारा 149 के तहत, दावा न्यायाधिकरण के समक्ष उनकी दावा याचिका समाप्त हो जाएगी।] [(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आवेदन दावेदार के विकल्प पर या तो दावों के लिए किया जाएगा।

जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई, उस पर अधिकारिता रखने वाले न्यायाधिकरण या दावा न्यायाधिकरण, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर दावेदार रहता है या व्यवसाय करता है या जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी रहता है, और ऐसे रूप में होगा और इसमें ऐसे विवरण होंगे जो निर्धारित किए जाएं:

[(3) मुआवजे के लिए कोई भी आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह घटना के छह महीने के भीतर नहीं किया जाता है।

दुर्घटना)।

[(4) दावा न्यायाधिकरण धारा 159 के तहत उसे भेजी गई दुर्घटनाओं की किसी भी रिपोर्ट को एक आवेदन के रूप में मानेगा।

इस अधिनियम के तहत मुआवजा।]

[(5) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद, दुर्घटना में चोट के लिए मुआवजे का दावा करने का किसी व्यक्ति का अधिकार, घायल व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उसके कानूनी प्रतिनिधियों के पास रहेगा, भले ही मृत्यु का कारण चोट से संबंधित हो या उसका कोई संबंध हो।

या नहीं।] गोहर मोहम्मद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

39. अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर दुर्घटना से उत्पन्न चोटों या मृत्यु या संपत्ति के नुकसान के मामले में,

मुआवजे के अनुदान के लिए आवेदन दावेदारों द्वारा सीधे दावा न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जा सकता है। मृत्यु के मामले में, सभी

मृतक या उनमें से किसी के प्रतिनिधि आवेदन दायर कर सकते हैं। यदि सभी आवेदक के रूप में शामिल नहीं हुए हैं, तो शेष को उत्तरदाता के रूप में शामिल किया जा सकता है। इस धारा के तहत, यदि दावेदार (ओं) मुआवजे के अनुदान के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके पास उस स्थान या दावा न्यायाधिकरण को चुनने का विकल्प होता है, जिसके पास या तो वह स्थान हो सकता है जहां दुर्घटना हुई हो या दावेदार (ओं) रहता है या व्यवसाय करता है या स्थानीय सीमाओं में हो सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रतिवादी रहता है। उपरोक्त धारा के तहत उपाय करने के लिए, मुआवजे की मांग करने वाले आवेदन पर विचार किया जा सकता है यदि यह दुर्घटना की तारीख से छह महीने के भीतर दायर किया जाता है। उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार, यह स्पष्ट है कि यदि धारा 164 के तहत या धारा 149 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सहारा लिया गया है और दावेदार (ओं) द्वारा मुआवजा स्वीकार किया जाता है, तो धारा 166 के तहत सहारा उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन, मुआवजे के मामले में

धारा 149 के तहत स्वीकार नहीं किया गया है या धारा 164 का सहारा नहीं लिया गया है, दावा न्यायाधिकरण, जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, धारा 159 की रिपोर्ट को इस अधिनियम के तहत दावा याचिका के रूप में मानेगा और कानून के अनुसार उसी पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है। 40. अधिनियम की योजना के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि गलत कार्य का अनुरोध या प्रमाण स्थापित नहीं करने के पहले उपाय के रूप में, उपेक्षा

या मालिक या चालक या वाहन का चूक, मुआवजे का दावा धारा 164 के तहत किया जा सकता है, लेकिन ऐसा मुआवजा सीमित राशि का है, जैसा कि मृत्यु या गंभीर चोट के मामले में निर्दिष्ट किया गया है। दावेदार (ओं) के लिए उपलब्ध दूसरा उपाय उप-धारा (2) के तहत निर्दिष्ट स्थान पर अधिकार क्षेत्र का चयन करके दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मालिक (ओं) या चालक (ओं) के गलत कार्य और उपेक्षा को साबित करके आवेदन करना है, लेकिन ऐसा दावा दुर्घटना की तारीख से छह महीने के भीतर दायर किया जाना चाहिए और न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। तीसरा उपाय एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 149 को लागू करके निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा

दावेदार (ओं) सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर धारा 164 या धारा 166 के तहत सहारा लेने में विफल रहे हैं, जांच अधिकारी द्वारा दावा न्यायाधिकरण को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, जिसके भीतर

क्षेत्राधिकार में दुर्घटना हुई, धारा 166 (4) के तहत दावा आवेदन के रूप में माना जा सकता है और दावेदार (ओं) को मुआवजे की मांग करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा यदि वह अधिनियम की धारा 166 (1) के तहत आवेदन दायर नहीं कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, धारा 149 बीमा कंपनी के दायित्व के मामले में दावे के निपटारे पर जोर देती है।

जैसा कि निर्धारित किया गया है, अन्य आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के अधीन विवाद में नहीं है। उक्त प्रावधान बिना किसी देरी के समय सीमा के भीतर मुआवजे के निर्धारण पर भी जोर देता है, जिससे पीड़ित को जल्द से जल्द नुकसान का मुआवजा मिल सकता है। उक्त तीन धाराओं को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने और उनका अर्थ निकालने पर, यह स्पष्ट है कि एम. वी. संशोधन अधिनियम मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

दावेदार (ओं) या कानूनी प्रतिनिधि (ओं) और दावेदार (ओं) द्वारा जो कुछ भी चुना जाता है उसे जल्द से जल्द अपनाकर दावे का फैसला करें और परिवार को नुकसान के भुगतान के बिना पीड़ित होने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामलों में जहां डी. ए. आर. का प्रभार नहीं होता है लापरवाही या दावेदार लापरवाही के आरोप के बावजूद बिना किसी गलती के मुआवजे का दावा करने का विकल्प चुनते हैं, उक्त दावा धारा 164 के तहत दर्ज किया जाएगा और उसी के अनुसार निपटा जाएगा।

42. नियमों के अनुसार, धारा 164 के तहत मामलों को छोड़कर, दावों के लिए

43. एफ. ए. आर. दाखिल करने पर, यदि आई. ए. आर./डी. ए. आर. पूरा नहीं होता है, तो दावा न्यायाधिकरण द्वारा इसे पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया जाएगा और पूरा होने पर, चालक (ओं), मालिक (ओं), दावेदार (ओं) और चश्मदीद गवाह (ओं) की उपस्थिति की तारीख तय की जाएगी और उन्हें जांच करने वाले गोहर मोहम्मद द्वारा पेश किया जाएगा।

इस तरह से तय की गई तारीख पर अधिकारी। जाँच अधिकारी का यह भी कर्तव्य होगा कि वह बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी को सूचित करे और बीमा कंपनी ऐसी तारीख को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी।

44. एफ. आई. आर. दर्ज करने और बीमा कंपनी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के बाद, यह कंपनी का कर्तव्य होगा कि वह एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे और राज्य पुलिस को सूचना प्रदान करे, जो सभी हितधारकों के साथ समन्वय करेगी। नोडल अधिकारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने पर, बीमा कंपनी डीएआर दाखिल करने के चरण तक दावे का सत्यापन करेगी। यदि यह पाया जाता है कि डी. ए. आर. सही नहीं है, तो बीमा कंपनी का नामित अधिकारी धारा 159 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वेक्षणकर्ता/अन्वेषक की रिपोर्ट की एक प्रति उपायुक्त या पुलिस विभाग के समकक्ष अधिकारी को या अन्यथा भेजेगा। उक्त अधिकारी को एक प्रस्ताव देगा

दावा न्यायाधिकरण के समक्ष निपटान के लिए दावेदार, प्रस्ताव के विवरण को निर्दिष्ट करते हुए और डी. ए. आर. के 30 दिनों के भीतर उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए प्रपत्र-11 सर्वेक्षणकर्ता/अन्वेषक की रिपोर्ट के साथ। ऐसा प्रपत्र जमा करने पर दावेदार बीमा कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो दावा न्यायाधिकरण

ऐसे प्रस्ताव को अभिलेख पर लेगा और सहमति से दावे का निपटारा इस संतोष को दर्ज करते हुए किया जाएगा कि मुआवजा, जैसा कि तय किया गया है, न्यायसंगत और उचित है और ऐसे समझौते के संदर्भ में एक पुरस्कार पारित करेगा। इससे पहले

एक पुरस्कार पारित करते हुए, यह न्यायाधिकरण के लिए खुला है कि वह दावेदारों की उनकी वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए, मालिकों, चालकों और बीमाकर्ता को अपनी रक्षा, यदि कोई हो, खुद को संतुष्ट करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए जांच करे। यदि नामित अधिकारी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को दावेदार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए, दावेदार को प्रासंगिक सामग्री दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

मुआवजे की अधिक राशि मांगने के लिए जिसके लिए न्यायाधिकरण द्वारा योग्यता के आधार पर दावे पर निर्णय लेने के लिए सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। तिथि निर्धारित करने और साक्ष्य दर्ज करने के बाद, यदि आवश्यक हो, तो लिखित प्रस्तुतियाँ ली जा सकती हैं और उसके बाद न्यायाधिकरण अंततः निर्णय लेगा और दावे पर निर्णय लेगा। पुरस्कार पारित करने के बाद, डी. ए. आर. और इस प्रकार पारित पुरस्कार की प्रति आपराधिक अदालत को भेजी जाएगी और तदनुसार, न्यायाधिकरण द्वारा पंजीकृत विविध आवेदन को निपटाया गया माना जाएगा।

एम. वी. संशोधन अधिनियम का विश्लेषण और

दावे को सही ठहराने की प्रक्रिया बिना किसी नुकसान के मामले।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. ऊपर की गई चर्चा के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि एम. वी. संशोधन अधिनियम और नियमों को एक

हितकारी विधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्देश जारी करने वाले न्यायालय द्वारा उठाए गए कदमों को लागू करना। एम. वी. के अनुसार

संशोधन अधिनियम, वाहन का बीमा, जब तक छूट नहीं दी जाती है, धारा 147 के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अधिनियम और नियमों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

46. दावेदारों को दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजे का दावा करने के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है,

जबकि दावेदार (ओं) द्वारा धारा 166 (1) और (2) के तहत विकल्प उल्लंघन करने वाले वाहन की लापरवाही को साबित करना है। इसके अलावा, धारा 149 को जोड़ा गया है जिसके द्वारा दावा न्यायाधिकरण के समक्ष पुलिस अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई करके प्राथमिकी दर्ज करने पर तुरंत डी नोवो प्रक्रिया निर्धारित की गई है। विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि दावा न्यायाधिकरण द्वारा देश के अधिकांश हिस्सों में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, हालांकि मुआवजे के वितरण के मामले में उक्त धारा अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। इसलिए, उचित दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है। 47. जैसा कि एम. वी. संशोधन अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित किया गया है, पुलिस अधिकारी और पंजीकरण प्राधिकरण दुर्घटना होने और उनके द्वारा जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा, यह देखा गया है कि एम. वी. संशोधन नियमों के नियम 3 के अनुसार, पुलिस अधिकारी को सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को उनके अधिकारों के बारे में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है और फॉर्म-II के साथ योजना का फ्लो चार्ट उन्हें प्रस्तुत करना आवश्यक है। नियमों में निर्दिष्ट उक्त प्रवाह चार्ट और अन्य सभी दस्तावेज या तो स्थानीय भाषा में या अंग्रेजी में होने चाहिए और दावेदारों या अन्य प्रभावित व्यक्तियों को उनकी सुविधा के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए। उन्हें तत्काल कार्रवाई करने और पीड़ितों, चालकों, मालिकों, बीमा कंपनी और अन्य हितधारकों को सुविधा प्रदान करने के इरादे से सूचित करते हुए दावा न्यायाधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, बशर्ते कि

अधिनियम और नियम। 48. हमारे विचार में, विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए तर्कों को अनुमति दी जानी चाहिए। पुलिस अधिकारी और पंजीकरण प्राधिकरण हैं

एम. वी. संशोधन अधिनियम और नियमों और गोहर मोहम्मद बनाम के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर्तव्य।

नियमों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर एफ. ए. आर., आई. ए. आर. और डी. ए. आर. जमा करना आवश्यक है। पंजीकरण प्राधिकरण परमिट के सत्यापन, वाहन की योग्यता, चालक लाइसेंस और अन्य सहायक मुद्दों पर भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। बीमा कंपनी बाध्य है नियम 24 के अनुसार नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना ताकि जांच अधिकारी को जांच और जांच के मामले में सुविधा प्रदान की जा सके, बीमा के बारे में विवरण प्रस्तुत किया जा सके और हितधारकों के साथ समन्वय किया जा सके।

49. हमारे विचार में, संशोधन अधिनियम की धारा 149 के तहत बनाई गई प्रक्रिया दावों से पहले एफ. ए. आर. दाखिल करने पर नई है।

छह महीने की सीमा, ऐसे विविध आवेदन को एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 166 (4) के तहत एक आवेदन के रूप में माना जा सकता है और कानून के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। अतः प्रक्रिया इस प्रकार है धारा 149 के तहत निर्धारित एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 164,166 की कार्यवाही के अतिरिक्त है और कानून के इस तरह के जनादेश का सही अर्थों और भावना से पालन किया जाना आवश्यक है।

50. विद्वान न्यायमित्र तर्क देते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां दावेदार धारा 166 के तहत दावा याचिका दायर करने का विकल्प चुनता है।

जहाँ एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 166 (2) का सहारा लेते हुए दुर्घटना हुई है, वहाँ धारा 149 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को बंद करने और उन कार्यवाही के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। यह भी आग्रह किया जाता है कि अन्य दावेदारों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्थानों पर दावा न्यायाधिकरणों का चयन करके आवेदन दायर करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि यदि विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न दावेदारों द्वारा विभिन्न स्थानों पर दावा याचिकाएं दायर की गई हैं, तो भारत के संविधान की धारा 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उन मामलों को एक स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है, जिससे दावा मामले की कार्यवाही में देरी पर अंकुश लगाया जा सके।

51. हमारे विचार में, आगे दिए गए तर्क में बल है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि धारा 149 के तहत कार्यवाही शुरू होने पर दावा न्यायाधिकरण द्वारा एक विविध आवेदन दर्ज किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई थी, जब तक कि

दावेदारों द्वारा धारा 166 के तहत कार्यवाही दायर की गई है।

अलग से। एक अलग आवेदन दायर करने की स्थिति में और दावेदारों से या तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर, या जांच करने पर

अधिकारी या बीमा कंपनी, धारा 149 के तहत कार्यवाही को बंद माना जाएगा और दावेदार (ओं) द्वारा दायर धारा 164/166 की कार्यवाही के साथ जोड़ा जाएगा। यदि दावेदारों/कानूनी प्रतिनिधियों ने धारा 166 के तहत अलग-अलग आवेदन दायर किए हैं।

एक उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दावा न्यायाधिकरणों के समक्ष, उक्त आकस्मिकता में दावा न्यायाधिकरण, जहां पहली दावा याचिका दायर की जाती है, को अन्य उच्च न्यायालयों की क्षेत्रीय सीमाओं में दावेदार (ओं)/कानूनी प्रतिनिधियों (ओं) द्वारा दायर समान और अन्य दावा याचिकाओं पर निर्णय लेने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।

दावा न्यायाधिकरण को स्थानांतरित किया जाता है जहां पहली दावा याचिका दायर की गई थी और धारा 149 के तहत कार्यवाही को उक्त फाइल के साथ जोड़ा जाएगा। विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न दावा न्यायाधिकरणों के समक्ष दावा याचिकाओं के लंबित होने के कारण देरी पर अंकुश लगाने के लिए, ऐसा निर्देश आवश्यक है। इसलिए, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना उचित समझते हैं।

भारत का संविधान। यह निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायालयों के महापंजीयक बाद की कार्यवाही और अभिलेखों को दावा न्यायाधिकरण को स्थानांतरित करने के लिए उचित आदेश जारी करेंगे जहां पहला दावा किया गया है।

दावेदार (ओं) द्वारा दायर याचिका लंबित है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि पक्षों को इस न्यायालय के समक्ष कोई स्थानांतरण याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं है

विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में लंबित ऐसे व्यक्तिगत मामलों में स्थानांतरण के आदेश की मांग करना।

52. विद्वान न्यायमित्र ने आगे बताया है कि कुछ उच्च न्यायालयों में, दावा न्यायाधिकरण को संलग्न करने वाले वितरण ज्ञापन

पुलिस थानों को जारी नहीं किया गया है, हालांकि एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 149 के तहत उपाय करना निर्धारित अवधि के भीतर संभव नहीं है, इसलिए एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 149 के उपाय को लागू करने के लिए पुलिस थानों और दावा न्यायाधिकरणों के संबंध में उच्च न्यायालयों द्वारा वितरण ज्ञापन तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं और नियम जारी किए जा सकते हैं और इसे जनता की सुविधा के लिए सार्वजनिक डोमेन में अधिसूचित किया जा सकता है।

53. इस संबंध में, यह अवलोकन करना पर्याप्त होगा कि उच्च न्यायालयों में, जहां पुलिस थानों और निर्दिष्ट दावों का वितरण किया जाता है

न्यायाधिकरण पहले से लागू नहीं हैं, पंजीयक जनरलों द्वारा वितरण ज्ञापन तैयार करने और समय-समय पर अधिसूचित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिससे धारा 149 के तहत कार्यवाही प्रभावी रूप से जारी रह सकती है।

बिना किसी विलम्ब के ऐसे दावा न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण, जैसा कि अधिसूचित किया गया है, चर्चा के अनुसार उपाय करेंगे और नियमों के नियम 23 के अनुसार नामित अधिकारी की नियुक्ति पर, दावे का निपटान बीमा कंपनी द्वारा संसाधित किया जा सकता है। उक्त कार्यवाही तब तक जारी रहेगी जब तक कि इसे एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 166 के तहत दायर दावा याचिका, यदि कोई हो, के साथ टैग नहीं किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि दावेदारों ने धारा 166 के तहत कोई उपाय नहीं किया है, तो विविध आवेदन को एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 166 (4) के तहत दावा याचिका के रूप में माना जाए और दावा न्यायाधिकरण कानून के अनुसार प्रक्रिया का पालन करके ऐसे दावे पर निर्णय लेने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

54. विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यदि बीमा कंपनी का दायित्व अधिनियम की धारा 147 के अनुरूप पॉलिसी शर्तों के संदर्भ में विवादित नहीं है, तो नामित अधिकारी द्वारा इस तरह का प्रस्ताव उचित होना चाहिए, जिसमें निर्धारित समय के भीतर इस तरह का प्रस्ताव करने के विस्तृत कारणों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। उक्त प्रस्ताव पर, दावा न्यायाधिकरण दावेदारों की सहमति लेगा, चाहे वे इसके लिए सहमत हों। यदि दावेदार उक्त प्रस्ताव से सहमत नहीं है, तो धारा 149 (3) के तहत जांच मुआवजे में वृद्धि की सीमा तक सीमित होनी चाहिए।

55. हम उक्त विवाद में बल पाते हैं। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि नामित अधिकारी, प्रस्ताव देते समय, विस्तृत कारण बताएगा यह दिखाने के लिए कि जो राशि दी गई है वह उचित और उचित है। यदि दावेदारों द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है, तो मुआवजे की राशि में वृद्धि की मांग करने की जिम्मेदारी दावेदारों पर स्थानांतरित हो जाएगी और धारा 149 (3) के तहत उक्त जांच सीमित होगी।

केवल वृद्धि।

56. विद्वान न्यायमित्र आगे प्रस्तुत करते हैं कि यदि दावेदार धारा 166 (2) के तहत निर्दिष्ट दावे न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का चयन करते हुए एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 166 के तहत सहारा लेने का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो ऐसे मामलों में किसी स्थान के बीमा कंपनियों के नोडल अधिकारी/नामित अधिकारी के साथ जुड़ने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

जहाँ दुर्घटना हुई थी। धारा 149 की कार्यवाही को टैग करने में देरी पर और अंकुश लगाने के लिए उक्त उपाय आवश्यक है। वे। नामित अधिकारी/नोडल अधिकारी संबंधित दावा न्यायाधिकरण के समक्ष एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 149 के तहत पहले से की गई कार्यवाही के विवरण के बारे में स्पष्टीकरण देने की स्थिति में हो सकते हैं।

57. हम उक्त विवाद में बल पाते हैं। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि यदि दावेदार एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 166 (2) के तहत विकल्प का उपयोग करना चाहता है, तो वह उस स्थान के बीमा कंपनी के नामित अधिकारी/नोडल अधिकारी के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र है जहां दुर्घटना हुई थी।

58. विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह भी आग्रह किया जाता है कि एम. वी. संशोधन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संबंध में उच्च न्यायालयों के नियंत्रण में काम करने वाली राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा दावा न्यायाधिकरण, पुलिस अधिकारियों और बीमा कंपनियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, जिससे उक्त प्रक्रिया को पुलिस अधिकारियों, बीमा कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में अपनाया जाना चाहिए। हम उक्त निवेदन से सहमत हैं और राज्य न्यायिक को निर्देश देते हैं

अकादमियों को अपने वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर में उक्त विषय सहित हितधारकों को जल्द से जल्द संवेदनशील बनाने का सहारा लेना चाहिए।

59. विद्वान न्यायमित्र ने इस आशंका को दर्शाया है कि एम. वी. की धारा 149,159 और 160 के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया।

संशोधन अधिनियम और नियम, नए सिरे से मुआवजे की मांग के लिए है। के रूप में

उक्त प्रक्रिया के अनुसार, पुलिस अधिकारियों, पंजीकरण प्राधिकरण, नोडल अधिकारी और बीमा कंपनियों के नामित अधिकारी पर अधिक दायित्व लगाया गया है। ऐसी स्थिति में, कम से कम पुलिस विभाग के अधिकारियों को अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए और

अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट कार्य के निर्वहन के लिए प्रावधान और नियम और कुशल। आम तौर पर पुलिस अधिकारी जटिल आपराधिक मामलों की जांच में कुशल हो सकते हैं लेकिन एम. वी. संशोधन अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया आपराधिक मामलों में जांच की प्रक्रिया से अलग है। वास्तव में यह जांचकर्ता के अलावा एक सहायक के रूप में पुलिस अधिकारी पर कर्तव्य निर्धारित करता है और निर्धारित प्रपत्रों में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसलिए, मोटर दुर्घटना के दावों के मामलों की जांच करने के लिए एक विशेष इकाई का गठन करने वाले प्रशिक्षित और सुसज्जित पुलिस अधिकारियों को पुलिस थानों में तैनात किया जा सकता है। प्रक्रिया से गुजरने के बाद, जैसा कि ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है, हम तर्क में कुछ सार पाते हैं। हमारे विचार में, राज्य के गृह विभाग के प्रमुख और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस महानिदेशक मोटर दुर्घटना दावा मामलों की जांच और सुविधा के लिए पुलिस थानों में या कम से कम शहर स्तर पर एक विशेष इकाई का गठन करके नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्रवाई आज से तीन महीने की अवधि के भीतर सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ओहार मोहम्मद वी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

60. विद्वान न्यायमित्र ने आगे प्रस्तुत किया कि रिकॉर्डिंग में

दावा न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य, मोटर वाहन संशोधन नियम 2022 के लूल 30 के रूप में स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति का भी निर्देश दिया जा सकता है,न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित दावों के मामलों को देखते हुए, यह

निपटान में देरी।

61. हमारे विचार में उक्त तर्क नियम 30 के अनुसार है। जहाँ कंपनी देयता पर विवाद करती है, दावा न्यायाधिकरण कर्तव्यबद्ध होता है।

स्थानीय आयुक्त के माध्यम से साक्ष्य और शुल्क /

ऐसे स्थानीय आयुक्त के कार्यों का वहन बीमा द्वारा किया जाएगा।

कोई भी।

62. तदनुसार, इस अपील का निर्णय निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता हैः

i) देयता के मुद्दे को चुनौती देने वाली मालिक द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया जाता है।

(ii) सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के उपयोग से सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर संबंधित एस. एच. ओ. एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 159 के अनुसार कदम उठाएगा। iii) एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद, जाँच अधिकारी कार्रवाई करेगा।

एम. वी. संशोधन नियम, 2022 में निर्दिष्ट उपाय और

दावा न्यायाधिकरण को 48 घंटे के भीतर एफ. ए. आर. प्रस्तुत करें। आई. ए. आर. और डी. ए. आर. समय के भीतर दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किए जाएंगे।

नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन सीमा। iv) पंजीकरण अधिकारी वाहन के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की योग्यता, परमिट और अन्य सहायक मुद्दों को सत्यापित करने और दावा न्यायाधिकरण के समक्ष पुलिस अधिकारी को समन्वय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

v) फ्लो चार्ट और अन्य सभी दस्तावेज, जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट किया गया है, या तो स्थानीय भाषा में या अंग्रेजी भाषा में होंगे।

जैसा भी मामला हो और नियमों के अनुसार आपूर्ति की जाएगी। द.

जाँच अधिकारी पीड़ित/कानूनी व्यक्ति को सूचित करेगा।

इसके बाद की गई कार्रवाई के संबंध में प्रतिनिधि (ओं), चालक (ओं), मालिक (ओं), बीमा कंपनियां और अन्य हितधारक

एम. वी. संशोधन नियम और इसका उत्पादन करने के लिए कदम उठाएंगे

न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार निर्धारित तिथि पर गवाह। vi) निर्देश संख्या (iii) को पूरा करने के उद्देश्य से, दावा न्यायाधिकरणों के साथ उन्हें संलग्न करने वाले पुलिस थानों का वितरण [2022] 9 एस. सी. आर. है।

आवश्यकता है। इसलिए, पुलिस थानों को दावा न्यायाधिकरणों से जोड़ने वाला वितरण ज्ञापन समय-समय पर उच्च न्यायालयों के महापंजीयक द्वारा जारी किया जाएगा, यदि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहले से जारी नहीं किया गया है।

vii) एम. वी. संशोधन अधिनियम और नियमों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जांच अधिकारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमों के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। इसलिए, एम. वी. संशोधन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, मोटर दुर्घटना दावे के मामलों से निपटने के लिए निर्दिष्ट प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक प्रत्येक पुलिस स्टेशन या नगर स्तर पर एक विशेष इकाई विकसित करेंगे और इस आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एम. वी. संशोधन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को तैनात करेंगे। viii) पुलिस स्टेशन से एफ. ए. आर. प्राप्त करने पर, दावा न्यायाधिकरण ऐसे एफ. ए. आर. को विविध आवेदन के रूप में पंजीकृत करेगा। उक्त एफ. ए. आर. के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा आई. ए. आर. और डी. ए. आर. दाखिल करने पर, इसे उसी विविध आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। दावा न्यायाधिकरण एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 149 और नियमों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उक्त आवेदन में उचित आदेश पारित करेगा, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

ix) दावा न्यायाधिकरणों को बीमा कंपनी के नामित अधिकारी के प्रस्ताव से संतुष्ट होने का निर्देश दिया जाता है। न्यायसंगत और उचित मुआवजा देने के इरादे से। इस तरह की संतुष्टि दर्ज करने के बाद, दावेदारों की सहमति के अधीन एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 149 (2) के तहत समझौता दर्ज किया जाना चाहिए। यदि दावेदार इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो सुनवाई के लिए तारीख तय की जाए और दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

वृद्धि, याचिका पर निर्णय लिया जाए। उक्त घटना में, उक्त जांच केवल मुआवजे में वृद्धि की सीमा तक सीमित होगी, जिसकी जिम्मेदारी दावेदार (ओं) पर स्थानांतरित होगी।

x) सामान्य बीमा परिषद और सभी बीमा कंपनियों को एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 149 और संशोधित ओहार मोहम्मद v के आदेश का पालन करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम [जे. के. माहेश्वरी, जे.]

नियम। नियम 24 में निर्धारित नोडल अधिकारी और नियम 23 में निर्धारित नामित अधिकारी की नियुक्ति को तुरंत अधिसूचित किया जाएगा और सभी पुलिस थानों/हितधारकों को समय-समय पर संशोधित आदेश भी अधिसूचित किए जाएंगे।

xi) यदि दावेदार एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 164 या 166 के तहत आवेदन करता है, तो सूचना प्राप्त करने पर,

धारा 149 के तहत पंजीकृत विविध आवेदन को दावा न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा जहां धारा 164 या 166 के तहत आवेदन दावा न्यायाधिकरण द्वारा तुरंत लंबित है।

xii) यदि मृतक के दावेदारों या कानूनी प्रतिनिधियों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग दावा याचिकाएं दायर की हैं, तो उक्त स्थिति में दावेदारों/कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर पहली दावा याचिका को उक्त दावा न्यायाधिकरण और उसके बाद के न्यायाधिकरण द्वारा बनाए रखा जाएगा।

दावा याचिका (ओं) को दावा न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जहां पहली दावा याचिका दायर की गई थी और लंबित थी। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि दावेदारों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में दायर अन्य दावा याचिकाओं के हस्तांतरण के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालयों के महापंजीयक इस न्यायालय के निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए उचित कदम उठाएंगे और इस संबंध में उचित आदेश पारित करेंगे। xiii) यदि दावेदार, जैसा भी मामला हो, एम. वी. संशोधन अधिनियम की धारा 164 या 166 के तहत सहायता लेता है, तो उसे बीमा के नोडल अधिकारी/नामित अधिकारी के रूप में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है।

एम. वी. संशोधन अधिनियम के अध्याय 11 और 12 और एम. वी. संशोधन नियम, 2022 और कानून का अधिदेश सुनिश्चित करने के लिए।

xv) एम. वी. संशोधन नियम, 2022 के नियम 30 के आदेश के अनुपालन के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि [2022] 9 एस. सी. आर. द्वारा दायित्व पर विवाद करने पर।

बीमा कंपनी, दावा न्यायाधिकरण साक्ष्य दर्ज करेगा

स्थानीय आयुक्त के माध्यम से और ऐसे स्थानीय आयुक्त का शुल्क और खर्च बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

xvi) राज्य प्राधिकरण समन्वय और सुविधा के लिए एक संयुक्त वेब पोर्टल/मंच विकसित करने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

किसी भी तकनीकी के साथ समन्वय में एम. वी. संशोधन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को पूरा करने के उद्देश्य से हितधारक

एजेंसी और बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाए।

इस न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति सभी उच्च न्यायालयों के महापंजीयक और मुख्य न्यायाधीश को प्रसारित करे।

मोटर वाहन संशोधन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ईटरी/प्रशासक

और उसके तहत बनाए गए नियम।

अपील खारिज कर दी गई और निर्देश जारी किए गए।

गुजराल

द्वारा संपादित शुभांशु दास, एलसीआरए)